

नगरीकरण, वनोन्मूलन एवं समाज : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
(URBANIZATION, DEFORESTATION AND SOCIETY: A
SOCIOLOGICAL STUDY)

लघु शोध प्रबंध (M.Phil.)
(2020-2022)



पर्यवेक्षक
प्रो. मनीष के. वर्मा
समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी
पूजा त्रिपाठी
Enroll No. 1226/20

अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ 226025

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबंध नगरीकरण, वनोन्मूलन एवं समाज: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (URBANIZATION, DEFORESTATION AND SOCIETY: A SOCIOLOGICAL STUDY) विषय पर मेरे शोध कार्य में आदरणीय गुरुजनों, परिवारजनों एवं स्वर्गीय श्रद्धेय पिताजी तथा माता जी एवं अन्य मित्रों का साझा योगदान व सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञता मुक्त नहीं होना चाहती एवं आभार प्रस्तुत करने की परंपरा को त्याग कर, मैं इस चली आ रही परंपरा का अनादर भी नहीं कर सकती। शोधार्थी इस कार्य के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाले परम श्रद्धेय गुरु प्रोफ़ेसर मनीष के.वर्मा जी की सदैव आभारी रहूंगी, जिनके कुशल निर्देशन में मेरी शोध यात्रा बिना किसी व्यवधान के अनवरत चलती रही। आपकी विद्वता पूर्ण मार्गदर्शन व स्नेह पूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप में शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ। आपकी अति व्यस्तता के बावजूद भी हर कठिन परिस्थितियों में मुझे आपने सही रास्ता दिखाया। शोधार्थी आपकी सदैव ऋणी रहेगी। आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर जया श्रीवास्तव, प्रोफ़ेसर बीरेंद्र दुबे, प्रोफ़ेसर बीभूति भूषण मलिक, डॉ बृजेश कुमार, डॉ अजय कुमार समाजशास्त्र विभाग आदि लोगों का समय-समय पर प्रेरणा पूर्वक मार्गदर्शन, अपेक्षित सहयोग एवं बहुमूल्य परामर्श मिला जिसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी पूजनीय माँ श्रीमती सीमा त्रिपाठी एवं स्वर्गीय पिता श्री जयशंकर त्रिपाठी भाई शुभम एवं शिवम त्रिपाठी परिवार के सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विशेष रूप से शोधार्थी आनन्द कुमार, रमेश कुमार एवं अपने अन्य मित्रों का आभार व्यक्त करती हूँ। ऑफिस कार्य को पूर्ण करने में अजय भैया जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अंततः उन सभी गुरुजनों व मित्र एवं सगे संबंधियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिनके असीम सहयोग एवं आशीर्वाद से मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाई। पाण्डुलिपि में मौजूद त्रुटियों के लिए गुरुजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सभी सहयोग करने वालों की क्षमा प्रार्थी हूँ जिनका नाम भूलवश मैं यहां अंकित नहीं कर सकी।

पूजा त्रिपाठी

घोषणा पत्र

मैं पूजा त्रिपाठी यह घोषणा करती हूँ कि मैंने नगरीकरण, वनोन्मूलन एवं समाज: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (URBANIZATION, DEFORESTATION AND SOCIETY: A SOCIOLOGICAL STUDY) विषय पर शोध कार्य प्रोफ़ेसर मनीष कुमार वर्मा समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में एम. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि यह शोध प्रबंध पूर्णता प्लेगोरिज्म मुक्त है।

दिनांक

स्थान

शोधार्थी

पूजा त्रिपाठी

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ

Certificate


This is to certify that the Dissertation Titled नगरीकरण, वनोन्मूलन एवं समाज : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (URBANIZATION, DEFORESTATION AND SOCIETY: A SOCIOLOGICAL STUDY) submitted by Pooja Tripathi is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The dissertation submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar university, Lucknow satisfies all the requirement as stipulated in the Master of philosophy (M.Phil.) regulations -2016 as Amended in 2019 and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Master of Philosophy of the University.

DATE -

SUPERVISOR

HEAD OF THE DEPARTMENT



विषय- सूची
(Contents)

अध्याय- 01	पृष्ठ सं (1)
प्रस्तावना	(1)
साहित्य-समीक्षा	(19)
शोध-समस्या	(36)
उद्देश्य	(37)
परिकल्पना	(37)
शोध -प्राविधि	(38)
अध्याय -02 सैद्धांतिक ढांचा	(39)
प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्	(41)
फर्डिनेंड टोनीज़ का जेमेनशाफ़्ट और जेशेलशाफ़्ट	(42)
दुर्खीम का सामाजिक एकता का सिद्धांत	(43)
सामाजिक पारिस्थितिकी	(45)
माक्स एवं एंगल्स	(46)
अर्नेस्ट बर्गेस का कान्सेन्ट्रिक जोन सिद्धांत	(47)
सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों का विश्लेषण	(53)
अध्याय -03 शहरीकरण व वनोन्मूलन के कारण एवं प्रभाव	(57)
भारत में वनोन्मूलन एवं वनावरण	(59)
शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारण	(62)

शहरीकरण के प्रभाव	(68)
अध्याय -04 शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का समाज पर प्रभाव (71)	
मलिन बस्तियां एवं सम्बंधित समस्याएँ	(72)
शहरीकरण का परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव	(74)
शहरीकरण और ग्रामीण जीवन	(78)
अध्याय -05 शहरीकरण व वनोन्मूलन का मानवीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव (82)	
वनोन्मूलन और मानव स्वास्थ्य	(88)
अध्याय -06 शहरीकरण एवं वनोन्मूलन से सम्बंधित नीतियों व प्रबंधन का प्रभाव (94)	
विभिन्न सरकारी योजनाएं	(96)
सामाजिक वानिकी	(108)
समुदायों की भूमिका	(113)
अध्याय -07 निष्कर्ष एवं सुझाव (116)	
निष्कर्ष	(117)
सुझाव	(121)
सन्दर्भ (125)	

अध्याय -01
(chapter 01)

प्रस्तावना (Introduction)

साहित्य समीक्षा (Literature review)

शोध समस्या (Research Problem)

उद्देश्य (Research objective)

परिकल्पना (Research Hypothesis)

शोध-प्राविधि (Research Methodology)

प्रस्तावना

(Introduction)

वनों के विनाश को ही वनोन्मूलन कहा जाता है। वनों की कटाई का मानव जीवन और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों कटाई इतनी अधिक तीव्र है कि अर्थव्यस्था और पारिस्थितिकी बुरी तरह प्रभावित हो रही है एवं हिमालय की मूल वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का क्रमिक नुकसान हो रहा है। अधिक जनसंख्या, औद्योगीकरण, शहरीकरण एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के कारण वनस्पति और जीवों के आवास परेशान व जीवित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। अतः भारत की प्राकृतिक विविधता दुनिया में सबसे अमीर में से एक है जो अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। भारतीय समाज का एक प्रमुख आर्थिक आधार कृषि, जंगल एवं प्राकृतिक संसाधन है जिनमे जंगलों का विशेष महत्त्व है। अधिकतर भारतीय समाज इन्हीं संसाधनों पर निर्भर है। भारतीय समाज एक विकासशील देश है, जहाँ

भिन्न-भिन्न रूपों में विकास को दिन-प्रतिदिन उन्नत किया जा रहा है। भारत की प्रगति हेतु कई आयामों पर कार्य किया जा रहा है जैसे- नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं वनोन्मूलन आदि। परन्तु समकालीन स्थिति में इन विकासशील प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, जिनके कारण अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। पर्यावरण से मानव समाज का सीधा सम्बन्ध है अर्थात् कह सकते हैं कि प्रकृति व मानव का सम्बन्ध जैसे एक शरीर का आत्मा से है। प्रकृति व पर्यावरण को महत्वपूर्ण समझते हुए भी मानव शहरीकरण जैसी प्रक्रिया को अंजाम देने हेतु इसका प्रतिदिन दोहन कर रहा है। मानव यह समझने लगा है कि ईश्वर प्रदत्त यह नैसर्गिक उपहार उपयोग के लिए ही दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप भोगवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। अतः इसी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति व वनों का अंधाधुंध शोषण हो रहा है व हरित पर्यावरण को नगरीकृत कर उन्हें औद्योगिकीकरण हेतु तैयार किये जाने का प्रयास लगातार हो रहा है। नगरीकरण एवं वनोन्मूलन ने व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ की ओर उन्मुख किया है जिसके कारण

जंगल कटने लगे, नदियां मैली हो रहीं, जंगलों से जड़ी-बूटियां लुप्त होने लगी एवं समस्त पर्यावरण नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचा है।

नगरीकरण से तात्पर्य नगर एवं नगरों से जुड़ी अनेक ऐसी विशेषताओं से है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसी संदर्भ में नेल्सन एंडरसन ने कहा है, "नगरीकरण प्रायः बड़े केंद्रों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है।" नगरीकरण के संदर्भ में समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास के अनुसार, "नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से ही नहीं अपितु सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से भी है।" अतः अन्य विद्वान किंग्सले डेविस द्वारा, "नगरीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या का एक न्यूनतम स्तर नागरिक प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था है।"

जहाँ जंगलों का उन्मूलन इन प्राकृतिक संसाधनों को क्षीण कर रहा है वहीं वनीय संसाधनों में कमी होने से उन पर निर्भर जीव-जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जंगलों में आवास एवं जीव-जंतुओं का रहन-सहन भी प्रभावित हो रहा है, जिससे जैव-विविधता प्रभावित हो रही है। वनोन्मूलन का मुख्य कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या

एवं शहरीकरण को बताया जा रहा है। शहरीकरण से वनीय क्षेत्रों में कमी होने से उस पर निर्भर समाज प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगली लकड़ियां, ईंधन, चारा आदि का उपयोग उन पर आश्रित लोगों द्वारा किया जा रहा है अतः जब वनोन्मूलन अधिक होने लगता है, तब वनों के संसाधनों का हास होता है जिसके परिणामस्वरूप वनो पर आश्रित जीवों के जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

नगरीकरण व शहरीकरण द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपनी मूल-भूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु गांवों से शहर व नगरों की ओर प्रवृत्त हो रहा है, जिसमें **पुल्ल(Pull) और पुश(Push)** कारक मनुष्य के प्रवासी जीवन को प्रभावित करते हैं जहाँ गांवों से बेहतर रहने, खाने, पीने एवं रोज़गार आदि की व्यवस्था प्राप्त करने हेतु लोग प्रवृत्त हो रहे हैं अतः इस व्यवस्था को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान वनोन्मूलन की स्थिति को बताया जा रहा है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के **समाजशास्त्र के प्रोफेसर एवरेट स्पर्जन ली** को प्रवासन का अग्रणी सिद्धांत, जिसे पुश एंड पुल थ्योरी या ली थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है।

ली ने सबसे पहले मिसिसिपी वैली हिस्टोरिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। गंतव्य, पुश और पुल कारकों से प्रभावित होते हैं। पुश कारक उत्पत्ति के बिंदु पर मौजूद होते हैं और कार्य करते हैं जैसे प्रवास को प्रेरित करना (आर्थिक अवसरों की कमी, शिक्षा, आदि जिनका उल्लेख किया गया है)। दूसरी ओर, गंतव्य पर पुल कारक मौजूद होते हैं जो प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, अवसरों और नौकरियों की उपलब्धता, अनुकूल शैक्षिक सुविधाएं, धार्मिक या राजनीतिक स्वतंत्रता।

वनोन्मूलन का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नगरीकरण है व नगरीकरण द्वारा मानव जीवन शहर-केंद्रित होता जा रहा है। शहरों में भूमि की कमी के कारण मानव के रहने की व्यवस्था हेतु वन भूमि व जंगलों को समाप्त करने का रास्ता अपनाया जा रहा है अतः वनों की कटाई कर अपने उपयोग योग्य भूमि तैयार कर ली जाती है। परन्तु, मनुष्य अपने विकास के लिए वन पर आश्रित वन्य जीव-जंतुओं के स्थानों का हास व स्वयं के लिए भी भविष्य में समस्या उत्पन्न कर रहा है। शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का समाज पर कैसा प्रभाव है, इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतः इन दोनों ही

प्रक्रियाओं को एक ही सिक्के के दो पहलु के रूप में देखा व समझा जा सकता है अर्थात शहरीकरण एवं वनोन्मूलन दोनों एक-दूसरे के पूरक जैसा कार्य करते हैं। समकालीन समय में नगरों में रहन-सहन की आधुनिक जीवन-शैली प्राकृतिक संसाधनों के आवश्यकता से अधिक दोहन करने के लिए उत्तरदायी हैं। शहरी सुविधाओं जैसे- बिजली, पानी, आवास हेतु निर्माण सामग्री के लिए मनुष्य जंगलों पर निर्भर है अतः इनका अत्यधिक दोहन जंगलों को अधिक मात्रा में प्रभावित कर रहा है।

मानव-विस्थापन की समस्या समाज में शहरीकरण एवं वनोन्मूलन की देन है (Kalra, 2017)। कृषि योग्य भूमि का क्षरण और जंगलों की अधिक मात्रा में कटाई से उन पर निर्भर समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, वह शहरों की दिशा में पलायन करता है जो शहरीकरण को बढ़ाने में योगदान देता है। शहरीकरण से प्रवासी लोगों का आगमन शहरों पर दबाव बनाने का कार्य करता है जिसके कारण शहरों में यह उचित मानवीय जीवन-यापन नहीं कर पाते जैसे शौचालय, पानी, बिजली एवं समुचित आवास से वंचित रह जाते हैं।

वनोन्मूलन एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत पेड़ों की कटाई, जंगलों के कूड़े-कर्कट की सफाई, पेड़ों के साथ छेड़-छाड़, मवेशियों का चरना आदि यह सभी सम्मिलित है (Kundu, 2011)। इसे इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, कि जंगलों की हरियाली को इस हद तक हानि पहुँचाना कि उसका प्राकृतिक सौंदर्य, फल-फूल आदि विकसित न हो सकें। वनोन्मूलन वृक्षों के आवरण के नष्ट होने को संदर्भित करता है व ऐसी भूमि जिसे जंगल के स्थान पर खेती, रेगिस्तान और मनुष्य के आवास के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो। जंगल व वन कई जीवित जीवों को आवास प्रदान करता है एवं मानव को कई रूप में प्राकृतिक औषधियों की प्राप्ति होती है। शहरीकरण के कारण वनो पर दिन-प्रतिदिन दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। वर्तमान में कृत्रिम संसाधनों के निर्माण एवं पूर्ति हेतु लगातार वनो का प्रयोग किया जा रहा है अतः जिससे वन संसाधनों का अस्तित्व विनष्ट होता प्रतीत हो रहा है।

बीसवी शताब्दी के आरम्भ में हमारे पृथ्वी की सतह (भूमि) पर लगभग 7.0 अरब हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर वन थे और 1950 तक वनाच्छादन क्षेत्र घट कर 4.8 अरब हेक्टेयर ही रह गया, यदि ऐसा

आने वाले समय में बढ़ा तो 2000 AD तक यह वनाच्छादित क्षेत्र घटकर 2.35 अरब हेक्टेयर ही रह जायेंगे। FAO/UNDP की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है, प्रतिवर्ष 7.3 मिलियन हेक्टेयर उष्ण कटिबंधीय वन समाप्त हो रहे हैं व प्रतिमिनट 14 हेक्टेयर नियंत्रित वन समाप्त हो रहे हैं (Nations, 2021)।

इसी सन्दर्भ में 70 के दशक के प्रारम्भ में किये गए सर्वेक्षण से भी यह स्पष्ट होता है, की भारत में केवल 22.76% ही वनाच्छादित क्षेत्र थे जबकि राष्ट्रीय वन निति के अनुसार 33% वनाच्छादित है (Government of India, 2022)। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद सड़को, नहरों और बस्तियों के लिए कुछ बड़े पैमाने पर वनीय क्षेत्रों को काटा गया एवं वनों के दोहन में वृद्धि हुई। इसे ध्यान में रखते हुए 1950 में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का उत्सव मानना प्रारंभ किया, जिसे "वनमहोत्सव" का नाम दिया गया। यह महोत्सव सर्वप्रथम गुजरात में आरम्भ हुआ। 1970 से भारतीय वनों व वन्य प्राणियों के संरक्षण को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। अतः भारत ही विश्व के उन सभी देशों में से एक है जहाँ "सामाजिक वन विज्ञान" का निरूपण किया एवं सड़कों के किनारों पर, नहरों और रेल पटरियों

के किनारों पर साधारण वन क्षेत्रों को वृक्षारोपण कर वन का रूप देने का प्रयास किया गया। वन-विभाग द्वारा पौधों की संख्या हर साल बढ़ रही है, फिर भी वनों की संख्या सुदृढ़ होने के बजाय दिन-प्रतिदिन बिगड़ती दिखाई दे रही है। अतः वनीय क्षेत्रों के कम होने के कारण मुख्यतः उपभोगकर्ता द्वारा विकासीय क्षेत्रों के कार्यों के लिए भूमि का अवैध रूप से प्रयोग, वनों की कटाई व वनीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सख्त नियमों का ना होना इत्यादि वनों की कटाई जैसी समस्या को प्रोत्साहित करते हैं (Ormsby & Ismail, 2015)।

भारत एक विकासशील देश है जहाँ विकास सर्वप्रमुख है, समकालीन समय में मनुष्य विकास की परिधि पर अग्रसर होने की चेष्टा में इतना अन्धा हो चूका है कि उसके दुष्परिणामों को पीछे छोड़ता जा रहा है एवं शहरीकरण के लिए जगह-जगह राष्ट्रीय राजमार्गों को छः(6) मार्गीय बनाने के लिए अत्यधिक बड़ी-बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है तथा पेड़ों को काटने के अनुपात में वृक्षारोपण नहीं किया गया जिसके कारण वहाँ वृक्षों की संख्या में कमी आयी है।

शहरीकरण, जहाँ समाज कृषि से औद्योगिकीकरण ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है वहीं यह प्रक्रिया आरम्भ में किसी भी देश को आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभ तो पहुंचाती है, किन्तु जैसे-जैसे समय गुज़रता है, इसके दुष्परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं है।

जब अत्यधिक आर्थिक लाभ हेतु अधिक कार्य होने लगता है और पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी पहलु पर ध्यान नहीं दिया जाता है दिया जाता है, तब यह विकास प्रक्रिया प्रभावी एवं योगदान देने के बजाय एक समस्या के रूप में जन्म लेना शुरू कर देती है। शहरीकरण के सन्दर्भ में वनोन्मूलन की स्थिति एवं वनों की कटाई से उत्पन्न समस्याओं को समझना नितान्त आवश्यक हो गया है। पर्यावरण, मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित रहा है अतः भारत में, डेंगू और चिकनगुनिया का तेजी से प्रसार हुआ है, दोनों एडीज मच्छर द्वारा प्रेषित होते हैं, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए अनेकों प्रयास सदैव होते रहे हैं, किन्तु समकालीन स्थिति आज भी जस की तस ही बनी हुई है। वन, स्थानीय अवक्षेपण को बढ़ाते हैं और मिट्टी द्वारा पानी को रोकने की शक्ति प्रदान करते हैं व जल-चक्र को

नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों से जो पत्तियां व कूड़ा-कर्कट गिरते हैं उसकी सड़न से मिट्टी को पोषकता मिलती है अतः मिट्टी उर्वरक होती है। वनों का जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वन "वन्य जीवों" के निवास क्षेत्र होते हैं, इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होते हैं। जैव-विविधता वनीय क्षेत्रों से मुख्य रूप से प्रभावित होती है, इसमें सभी जीवित प्राणियों और वस्तुओं के प्रकारों का समावेश होता है। किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष प्रकार के पर्यावरण में एवं सम्पूर्ण विश्व में रहने वाली भिन्न-भिन्न प्रजातियों की संख्या को सामान्य रूप से जैव-विविधता कहा जाता है, जैव-विविधता कभी स्थिर नहीं होती है व विकास के साथ ही साथ समय-समय पर नई प्रजातियां जन्म लेती हैं और कुछ विलुप्त हो जाती हैं। वनों की क्षीणता का सबसे सामान्य कारण जलाने हेतु लकड़ियां, इमराती लकड़ी के लिए और कागज के लिए लकड़ी काटना आदि हैं इसके अतिरिक्त मुख्यतः खेती के लिए भूमि की आवश्यकता एवं चरागाह की ज़रूरतें भी निहित हैं।

वनस्थित रिपोर्ट (Indian State of Forest Report(ISFR) 2021), पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 17वें वनस्थित रिपोर्ट 2021 (ISFR) के

अनुसार भारत में सम्पूर्ण वनाच्छादन 7,13,789 sq km है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। पिछले दो सालों में वनाच्छादन में 00.22% की बढ़ोत्तरी हुई है अतः यह आंकड़े ISFR 2019 और ISFR 2021 की तुलना करने के उपरांत प्राप्त हुए हैं (Government of India, 2022)।

तीव्र गति से बढ़ रही भारत की जनसंख्या ग्रामीण आर्थिक परिवेश में अपनी नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। भारत में शहरीकरण से जुड़े आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी एवं तब तक विश्व की आबादी का 70 फ़ीसदी हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र के ही एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2050 के बीच बढ़ने वाली आबादी में 35 फ़ीसदी हिस्सेदारी भारत, चीन और नाइजीरिया की होगी। यह अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में 41.6 करोड़ चीन में 25.5 करोड़ नाइजीरिया में 18.9 शहरी आबादी बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड

इकोनॉमिक्स स्टडी के अनुसार साल 2019 और 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले सभी शहर भारत में है इसी के साथ साल 2011 की जनगणना को देखें तो हमारे देश की जनसंख्या का 31.16 प्रतिशत शहरों में रहता है लेकिन अगर सेटेलाइट से मिली तस्वीरों को आधार बनाया जाए तो दो तिहाई यानी 66 प्रतिशत भारत शहरी नजर आएंगे।

इस प्रकार नगरों की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आज लगातार वनों की कटाई कर बस्ती, कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है जिससे न केवल जंगलों का क्षय हो रहा है साथ ही कृषि योग्य भूमि की कमी, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं। मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार जगह-जगह शहरीकरण हेतु सड़क निर्मित कर रहा है, लकड़ियों को काट उनसे प्राप्त होने वाले फर्नीचर निर्मित किए जा रहे हैं अर्थात् जब इन का प्रयोग किया जाता है तब इसके लाभ को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु इससे होने वाली हानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे प्राप्त सुविधा को अवश्य ही स्वीकारना चाहिए, किंतु इस हानि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के घनत्व एवं औद्योगिककरण ने शहरी पर्यावरण को भी अत्याधिक प्रदूषित किया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। नगरों के विकास के लिए विभिन्न प्राकृतिक स्थलों जैसे- झील क्षेत्र व तालाब आदि इन सभी के प्रति गैर जिम्मेदार व गैर जवाबदेही भरा कार्य किया जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया लगातार चलती रही तो हमें कई प्राकृतिक स्रोतों के अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है।

वनों की कटाई का मानव जीवन एवं पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 75 मिलीयन हेक्टेयर वन क्षेत्र है हाल ही में एकत्र किए गए उपग्रह डाटा से पता चला है कि केवल लगभग 17% क्षेत्र वन से आच्छादित है। भारत 1 वर्ष में 1.3 मिलीयन हेक्टेयर खो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में वनों की कटाई इतनी तीव्र है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। अधिक जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सड़क निर्माण, खनन और अन्य विकास गतिविधियों के कारण वनस्पतियों और जीवों के प्राकृतिक आवास खतरे में हैं और जिससे जीव संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। कई पौधे

और पशु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं या खतरे में हैं। वन विनाश कई प्रतिकूल कारकों जैसे भूस्खलन, सूखा, बाढ़, तूफान, भूकंप, रोग, जल और वायु प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप के कारण भी हो सकता है। अन्य प्रतिकूल कारक जैसे स्थिर मिट्टी की कमी, शुष्क जमीन, दलदलीपन, जैविक एजेंसियां, व्यवसायिक शोषण आदि भी वन वनस्पति के विनाश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। भारत की प्राकृतिक विविधता विश्व की सबसे समृद्ध विविधताओं में से एक है जो उपरोक्त कारकों के कारण धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है।

सरकार द्वारा सरकारी नीतियों के उचित पालन ना हो पाने की स्थिति में इस प्रकार की कटाई को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से शहरीकरण व वनों की कटाई के कारण मानव को अत्याधिक खतरा है। शहरीकरण द्वारा व्यक्ति अपने विकास के लिए इस क्षेत्र से जुड़ा है जिससे वह बेहतरीन जीवनशैली प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह एक चिंतन एवं विचारणीय विषय है जिस पर अध्ययन की आवश्यकता है। हमारे जीवन के लिए विकास एक आवश्यक पहलू है इसके अभाव में जीवन की कल्पना संभव नहीं

है, परंतु हमें विकास की प्रक्रिया को किस तरह से अपनाना चाहिए, इस बात का संपूर्ण ख्याल रखने की आवश्यकता है। हमें सतत विकास की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है।

शहरीकरण और पर्यावरण के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं अनेक नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किए बिना एक प्राकृतिक वातावरण के सौंदर्य और जरूरत को बनाए रखा जा सके।

वनोन्मूलन - इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार “वनोन्मूलन से तात्पर्य है कि मानव द्वारा वनों की कटाई करना, वनों को सीमित करना है। मानवीय जीवन में वनोन्मूलन का अनुमान परंपरागत रूप से उनके उपयोग के लिए किया गया कार्य है जिसमें लकड़ी के उत्पादों के लिए पेड़ों को काटने, फसल जोतने योग्य भूमि व चराई हेतु भूमि शामिल है” (Britanica, 2022)।

वनोन्मूलन मानव द्वारा जंगलों की कटाई तथा प्राप्त भूमि की साफ सफाई से कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। संसार में कई स्थानों पर

वनोन्मूलन बड़ी तेजी से हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है।

शहरीकरण- इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार "शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अधिक संख्या में लोग अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में रहने लगते हैं, ऐसे छोटे क्षेत्र शहर कहलाते हैं" (britanica, 2022)।

भारत की जनगणना में प्रयुक्त परिभाषा के अनुसार शहरी क्षेत्र वह होते हैं जिनमें कम से कम 5000 जनसंख्या और कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि क्षेत्र में क्षेत्र में कार्यरत हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हो।

नगरीकरण से तात्पर्य नगर एवं नगरों से जुड़ी अनेक ऐसी विशेषताओं से है जो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसी संदर्भ में नेल्सन एंडरसन ने कहा है नगरीकरण प्रायः बड़े केंद्रों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है। नगरीकरण के संदर्भ में समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से ही नहीं अपितु

सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से भी है। अतः अन्य विद्वान किंग्सले डेविस द्वारा नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या का एक न्यूनतम स्तर नागरिक प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था है।

इस प्रकार नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जनसंख्या की जीविका की आधारशिला के रूप में प्रदर्शित होती है।

साहित्य समीक्षा

(Literature review)

Creighton Connolly Roger Keil S. Harris Ali (2020), ने इस पत्र **“Extended urbanisation and the spatialities of infectious disease: Demographic change, infrastructure and governance”** में तर्क दिया है कि विस्तारित शहरीकरण की समकालीन प्रक्रियाएं, जिसमें उपनगरीयकरण, उपनगरीकरण के बाद और पेरी-शहरीकरण

शामिल हैं। परिणामस्वरूप संक्रामक रोग की चपेट में आ सकते हैं। शोधकर्ता यह भी बताते हैं कि भविष्य के शोधकर्ता विचार करें कि यह (संभावित) पेरी या उपनगरीय क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की चपेट में कैसे आता है। महानगरीय किनारे पर सामाजिक-भौतिक परिवर्तनों से द्वंद्वात्मक रूप से संबंधित है। विशेष रूप से, शोधकर्ता ने साहित्य में पहचाने गए संक्रामक रोग के प्रसार को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बुनियादी ढांचा और शासन। इन दोनों को देखते हुए इन्हें चुना गया है, इन विषयों की प्रमुखता और शहरी किनारे पर बीमारी के प्रसार को आकार देने में उनकी भूमिका है। आगे, शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि पेरी और उपनगरीय क्षेत्र में संक्रामक रोग के बढ़ते जोखिम को पैदा करने में सामाजिक पारिस्थितिक परिवर्तनों की भूमिका की जांच के लिए एक परिदृश्य राजनीतिक पारिस्थितिकी ढांचा कैसे उपयोगी हो सकता है। तर्कों को स्पष्ट करने के लिए शोधकर्ता विभिन्न पुनः उभरती संक्रामक बीमारियों के उदाहरणों पर आधारित है। दुनिया भर की घटनाओं और प्रकोपों से यह पता चलता है कि व्यापक अर्थों में शहरीकरण का विस्तार कैसे हुआ है। संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए आवश्यक शर्तों

को बढ़ाया। शोधकर्ता इस प्रकार भविष्य के शोध के लिए कहते हैं। स्वास्थ्य और रोग की स्थानिकताओं पर ध्यान देने के लिए विस्तारित शहरीकरण के विभिन्न पैटर्न संभावित प्रकोपों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और तंत्र जिसके माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है(Connolly et al., 2021)।

David Carr(2009) ने इस पत्र में "Population and deforestation: why rural migration matters" में ज्ञान की स्थिति की समीक्षा की है और इसके लिए एक वैचारिक मॉडल विकसित करता है। लैटिन अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील देशों में सीमांत प्रवास पर शोध करना। चूंकि केवल एक छोटा सा अंश वन सीमांत में आता है जो लोगों की पहचान करता है और संबंधित विशेषताओं को स्थान देता है। सीमांत प्रवास के साथ वन संरक्षण और ग्रामीण के उद्देश्य से नीतियों को उपयोगी रूप से सूचित कर सकता है। फिर भी जनसंख्या विद्वान शहरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर अपने प्रयासों को प्रशिक्षित करते हैं एवं भूमि उपयोग/आवरण परिवर्तन शोधकर्ता इन प्रवासन प्रवाहों पर बहुत कम ध्यान देते हैं जो प्रत्यक्ष

रूप से पृथ्वी की सतह पर मानव व्यवसाय के सबसे प्रमुख पदचिह्न हैं(Carr, 2009)।

Cristiane Lasmar (2012) ने पत्र "Urbanisation and transformation of indigenous resource management: the case of Upper Rio Negro (Brazil)".

में अमज़ोनिया के संसाधन प्रबंधन पर शहरीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं के बारे में बताते हैं। पत्र में शहर और गांव में लोगों के आवास और संसाधनों का एथनोग्राफिक अध्ययन करने उपरांत यह पाया है, की विभिन्न लोगों में आवास और संसाधनों पर शहरीकरण का प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण लोग अपने सभी संसाधनों के शहरीकरण होने की वजह से शहरों की तरह ही उनका उपयोग करने लगे(Eloy & Lasmar, 2012)।

Thomas K. Rudel(2013) ने अपने इस पत्र The national determinants of deforestation in sub-Saharan Africa. में अफ्रीकी देशों में खासकर कांगो बेसिन और लैटिन अमेरिकी देशों में वनों की कटाई का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें शोधकर्ता ने पाया की अफ्रीकी देशों खासकर कांगो बेसिन में

वनो की कटाई काम है और वही लैटिन अमेरिकी देशों में ज्यादा। इस अंतर का कारन शोधकर्ता ने बताया है कि लैटिन अमेरिकी देशों में छोटे किसान और मझोले किसान वनों की कटाई में ज्यादा भाग लेते हैं ऐसा वे इसलिए करते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कृषि करने के लिए भूमि मिल सके। सहारा का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से शुष्क है वही कांगो बेसिन में नमी ज्यादा रहती है। वनों की कटाई में कांगो बेसिन ही अच्छा प्रदर्शन किया है और तुलनात्मक रूप से वहां कम वन कटे गए हैं। इन कम वनों की कटाई से तथा भौगोलिक स्थिति द्वारा वहां के लोगों को, जैसे छोटे किसान और गरीब परिवारों के लिए संसाधनों की पूर्ति करते हैं (Rudel, 2013)।

Mauro Bologna and Gerardo Aquino (2020) ने इस पत्र Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis. में वर्तमान विश्व जनसंख्या वृद्धि की स्थिरता का मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। शोधकर्ता इस पत्र में पाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वनों की कटाई को लेकर आशावादी हैं और कहते हैं कि इससे मानव सभ्यता पर खतरा है। अधिकांश लोगों ने बताया, वनों की कटाई मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है और

इस पर अंकुश जरूरत है। यह अध्ययन स्टोकेस्टिक मोडल पर आधारित है। इसमें वनों की कटाई पर तकनीकी विकास का प्रभाव ज्ञात किया गया है और लोगों की राय में किस तरह तकनीकी विकास वनों की कटाई को प्रभावित करती है। वनों की कटाई और तकनीकी विकास के बीच के सम्बन्धों पर यह शोध पत्र आधारित है। (Bologna & Aquino, 2020)।

भजन लाल मेघवाल,(2019) ने अपने पत्र “नदी घाटी पर बढ़ते शहरीकरण के प्रभाव- एक अध्ययन” में किस तरह से शहरीकरण के द्वारा पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग नदियों पर चर्चा की है, यह बताते हैं कि शहरीकरण से नदी घाटियों में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अर्थात् लैंड कवर पैटर्न से अत्यधिक बदलाव आया है साथ ही मानवीय स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव देखा गया है, जो बढ़ते शहरीकरण के बाद कई गंभीर प्रभावों व समस्याओं का आंकलन है। इन कारणों की पहचान में जल की गुणवत्ता में गिरावट सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह शोध-पत्र शहरीकरण से नदियों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को संदर्भित करता है व बेहतर नदी बेसिन प्रबंधन और अनुसन्धान में मदद करेगा। इन्होंने शहरीकरण

के प्रभाव को नदियों पर तीन रूपों में बताया जो भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रभाव। इसके अतिरिक्त मानवजनित तत्व भी इसके प्रति उत्तरदायी है जिससे बदलते शहरीकरण की परिदृश्य संरचना भी बदल रही है, खुले स्थानों के परिदृश्य में परिवर्तन करना, एक प्रभावशाली सतह के आवरण में परिवर्तन करना, यह सभी एक नदी घाटी के क्षेत्रीय जल-विज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो पानी की गुणवत्ता में गिरावट, बेसिन बंद होना एवं लगातार पानी की कमी जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न करती हैं। शहरीकरण से पानी का तापमान बढ़ता है, नदी के पानी में शहरीकरण के कारण पोषक तत्वों, धातुओं, रासायनिक प्रभाव आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है, नदियों में अपवाह कूड़े का सीधा फेंका जाना एवं भूमि उपयोग के प्रारूप में बदलाव आदि पारिस्थिकीय-तंत्र को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं (Meghwal, 2019)।

डॉ रत्नेश शुक्ल (2018), ने अपने शोध अध्ययन में “कानपुर महानगर के मलिन बस्तियों का सामाजिक अध्ययन” किया, जिसका कारण उन्होंने नगरीकरण या शहरीकरण जैसे स्थिति को बताया है। यह बताते हैं कि किस तरह से नगरीकरण एवं

औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जनसंख्या का विस्तारीकरण हो रहा है अतः जनसंख्या के विस्तारीकरण के कारण ही सामाजिक रूप से संसाधनों का अभाव प्रतिलक्षित होता है, जो धीरे-धीरे लोगों में संसाधनों की पूर्ति हेतु शहरों की ओर लगातार अग्रसित होने पर बाधित हो रहे है अतः जिससे शहरीकरण का विस्तार और भी अधिक तेजी से हो रहा है व नगरीय आकार में वृद्धि, नगरीय पोषण क्षमता घटने, कार्य अवसरों व रोज़गारों की कमी, उचित आवासों का अभाव, कम किराया देने में विवशता एवं तेजी से प्रवासियों का खाली स्थानों पर अतिक्रमण करने को विवश होना आदि शहरीकरण के परिस्थितियों को दर्शाते हैं(Shukla, 2018)।

जोनाह बूच एवं कलीफी फ्रेरीति गैलेन(2014) ने अपने शोध-पत्र "STOPING DEFORESTATION:WHAT WORKS AND WHAT DOESN'T". में शहरीकरण के कारण वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं कृषि का विस्तार आदि के लिए वनों की कटाई द्वारा वनीय क्षेत्र को तबाह किया जा रहा है। वनों की कटाई को रोकते हुए इनकी उपयोगिता के प्रति ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इन वनों के द्वारा हमे अनेकों सार्वजनिक एवं निजी वस्तुओं का

खजाना प्राप्त है। जैव-विविधता, जल-निस्पंदन, तूफान, शमन लकड़ी व गैर-लकड़ी उत्पाद, लकड़ी, दवाएं आदि प्राप्त होने की सुविधा है। फिर भी हम वन्य-भूमि का अपने निजी स्वार्थों के लिए शहरी विकास में अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ती हैं, वैसे-वैसे वनों की कटाई व क्षरण के फलस्वरूप वैश्विक ग्रीन-हाउस गैस के उत्सर्जन के 10-15% तक कम करने पर ध्यान दिया है। अतः इस शोध-पत्र का मूल उद्देश्य वनों की कटाई के प्रति आगाह करना है जो शहरीकरण के फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन प्राप्त हो रही है (Busch & Ferretti-Gallon, 2014)।

एम० डी० जे० बी० आलम, एम० एच० रेहमान, एस० के० खान एवं एम० मुन्ना,(2006) के इस अध्ययन “UNPLANNED URBANIZATION:ASSESSMENT THROUGH CALCULATION OF ENVIRONMENT DEGRADATION INDEX”, में यह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से शहरी विकास व आसपास का विकास जारी है, बाढ़ एवं वाटरशेड का शहरीकरण से प्रभावित होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़

जाती है अर्थात यह भूमि-जल शक्ति को भी कम कर सकता है। वाटरशेड में शहरीकरण का मतलब बाढ़ की चोटियों में वृद्धि, पानी की मात्रा व प्रदूषक भार आदि हो सकता है, जो पारिस्थितिक-तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तत्पश्चात इसके कारण शहरीकरण के प्रभावों को मजबूती से निर्धारित कर पाना भी संभव नहीं होगा। विकास उपरांत इसके प्रभावों व प्रतिकूल स्वभाव को नियंत्रित कर पाना महंगा व प्रशासनिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है (Alam et al., 2006)।

ए० कैप्स, कैथरीन एन० बेन एवं एलोसो रमिरेज़ (2016) ने अपने इस पत्र “POVERTY, URBANIZATION AND ENVIRONMENT DEGRADATION: URBAN STREAMS IN THE DEVELOPING WORLD” में बताया है कि यह अध्ययन स्कूल ऑफ़ इकोलॉजी, पर्यावरण की दृष्टि से विशेष सम्बन्ध रखता है। इस पत्र में यह बताया है कि विकासशील प्रक्रिया के दौरान विकासशील देशों में शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, जो आय के मुख्य स्रोत के रूप में प्रतिलक्षित हो रहा है इसके अंतर्गत निम्न आय वर्ग वाले विकासशील देशों को कुछ संसाधनों की उपलब्धि नहीं हो पाने के

कारण इनके पास समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना सदैव बनी रहती है एवं जैसे पीने के पानी की समस्याएं व अपशिष्ट-जल के प्रबंधन आदि की समस्या कहीं न कहीं इन देशों झेलनी पड़ती है। यह आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से मनुष्य को प्रभावित कर रहा है एवं साथ-साथ शहरीकरण व वनोन्मूलन के फलस्वरूप मलिन-बस्तियों की भी समस्या देखने को मिल रही है अतः यह समस्या निम्न आय वाले देशों में अधिक है जहाँ जीवित रहने के साधनों में कमी होगी व जो भविष्य में मानव कल्याण में बढ़ा उत्पन्न कर सकती है (Capps et al., 2016)।

आबाशकर यू० के० इमाम और उत्तम कुमार बनर्जी (2016) ने इस अध्ययन “भारतीय नगरों का शहरीकरण एवं हरियाली:समस्याएं, प्रयोग और नीतियां” में यह बताया है कि तेजी से शहरीकरण एवं व्यापक शहरीकृत फैलाव ने हरित आवरण को ही समाप्त कर दिया है एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति शहरी संवेदनशील वृद्धि हुई है, इसके साथ यह मौसमी उतार-चढ़ाव में वृद्धि, वायु गुणवत्ता में गिरावट, पानी की तीव्र कमी से पर्यावरणीय स्थिति खराब हो रही है। बाल रोग स्वास्थ्य, श्वसन रोगों के प्रति

संवेदनशीलता एवं फुटपाथ पर रहने वालों की समस्या के प्रति चिंता शहर के प्रति काफी बढ़ गयी है। पेड़ की छाया का अत्यधिक योगदान मानवीय जीवन में होता है, यह हमें छायांकन, वाष्पीकरण, कार्बन-पृथक्करण के माध्यम से माइक्रो क्लाइमेट को सीधे ठंडा करते हैं। पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूल बनाये रखते हैं, परन्तु भारत में अत्यधिक शहरीकरण ने हरित-आवरण की मात्रा को क्षतिग्रस्त कर इसे दुष्प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति को देखते हुए मानवों में भी जागरूकता देखी गयी है। गौरतलब है कि जहाँ दिल्ली में 2003 में 6.61 वृक्ष थे वहाँ 2014 में 8.29 वृक्षों की संख्या दिखी। अतः इस पत्र से हमें समाज एवं पर्यावरण किस तरह से प्रभावित हो रहा है एवं इस पर ध्यान दिया गया है (Imam & Banerjee, 2016)।

OA OGUNBARU (2005) ने इस शोध-पत्र "Human-Environment Interactions: The Sociological Perspectives." में परिस्थितिकीय पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए में सामाजिक परिपेक्ष्य और मानव -पर्यावरण संबंध के विषय में अध्ययन किया गया है, इसमें तीन प्रमुख परिपेक्ष्यों को

मूलरूप से जांचा-परखा और मानव पर्यावरणीय संबंधों पर आधारित किया गया है अर्थात् यह तीन परिपेक्ष्य प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी एवं अंतःक्रियावादी हैं। प्रकार्यवादी परिपेक्ष्य में मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन आदि को समझते हैं, संघर्षवादी परिपेक्ष्य के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का आसमान वितरण हैं एवं अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण से मानव की क्रियाओं व उनके व्यवहारों का पर्यावरणीय समस्याओं से क्या सम्बन्ध रखते हैं। अतः इन समस्याओं से निजात पाने हेतु कठिन निर्णयों व नियामकों आवश्यकता है इन समस्त पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण करने हेतु मानव सहभागिता, निर्णय और चुनाव पर केंद्रित क्रियाओं को सम्मिलित किया है (Ogunbameru, 2005)।

Karen Ehrhardt-Martinez Source (1998) ने इस अध्ययन Social Determinants of Deforestation in Developing Countries: A Cross-National Study, में वनोन्मूलन के विभिन्न कारकों का अध्ययन किया है इसमें नव-मल्ट्यूसियन, आधुनिकतावादी व निर्भरतावादी सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में 51 विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर

सांख्यिकीय तकनीकी प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि, वनोन्मूलन के मुख्य कारक शहरीकरण, आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि वनोन्मूलन से क्षेत्रीय असमानता और मुख्य उपभोग योग्य वस्तुओं का निर्यात, शिक्षा में परिवर्तन आदि प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। आधुनिकतावादी सिद्धांत के आधार पर अध्ययन में यह पाया गया है कि वनोन्मूलन की बढ़ती-दर से शहरीकरण की दर भी बढ़ती है, जिससे आर्थिक विकास व क्षेत्रीय असमानता सीधे जुड़ी है। साथ ही यह भी पाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि-दर बढ़ने से वनोन्मूलन की परिस्थिति में भी बदलाव आता है (K, 1998)।

D. Rai and Christopher F. Uhl (2020) ने इस अध्ययन "Forest Product Use , Conservation and Livelihoods : The Case of Uppage Fruit Harvest in the Western Ghats , India." में फलों की खेती एवं जंगली लकड़ियों पर निर्भर समाज की आर्थिक दशा व वनोन्मूलन से होने वाले उन पर प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इस पत्र में सामाजिक, आर्थिक पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा यह बताया गया है कि फलों की खेती

पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ते हैं। इसके साथ जंगलों पर निर्भर समाज जो ईमारती लकड़ियों से जीविका चलाते हैं इन पर भी पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया गया है अर्थात् पर्यावरणीय प्रभाव ने जंगलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे उस क्षेत्र से सम्बंधित लोगों पर भी असर पड़ा है। अतः इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति जंगली लकड़ियों व उनसे प्राप्त फलों पर ही निर्भर है। (Rai & Uhl, 2020)

Hoffmann, Ellen M , Jose, Monish, Nölke, Nils ,Möckel, Thomas(2017) ने शोध-पत्र Construction and Use of a Simple Index of Urbanisation in the Rural-Urban Interface of Bangalore, India ,में शहरीकरण पर सामाजिक, आर्थिक एवं जैव-भौतिकी बदलाव के विषय में अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन को बेहतर रूप में समझने के लिए इंडेक्स तकनीकी का प्रयोग किया गया है जिसमे जी० आई० एस० विश्लेषण द्वारा सेटललाइट से तस्वीरें गयी हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समय के साथ हुए बदलावों का अध्ययन किया गया है इसके अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को जोड़ कर यह विश्लेषण किया

गया है कि किस तरह से गांवों एवं शहरों में बदलाव होते हैं। यह अध्ययन बताता है कि ग्रामीण-शहरी इंटरफ़ेस की मुख्य रूप से इसकी आंतरिक-संरचना, अर्थ-व्यवस्था, समाज और राजनितिक संकेतकों पर निर्भर करती है (Hoffmann et al., 2017)।

Ron Mahabir, Andrew Crooks, Arie Croitoru & Peggy Agouris (2016) ने इस पत्र "The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities." में मलिन-बस्तियों के विकास का अध्ययन किया है एवं भविष्य के शोध हेतु एक दिशा व विभिन्न प्रकार के सुझावों पर प्रकाश डाला है। मलिन-बस्तियों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी मापदंडों का प्रयोग किया गया है। इस पत्र में यह बताया गया है कि मलिन-बस्तियों की आर्थिक स्थितियों एवं संसाधनों को किस तरह से उपयोग किया जाता है एवं आर्थिक संसाधनों की ज़रूरतों का भी उल्लेख किया गया है। यह बताते हैं कि मलिन-बस्तियों का विभिन्न क्षेत्रों, शहरों व देशों पर भी पड़ता है। इस अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विधि

द्वारा इस निष्कर्ष पर यह शोध पहुँचता है कि मलिन-बस्तिओं में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं नीतिगत मुद्दों व विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः विभिन्न क्षेत्रों, शहरों और देशों में मलिन-बस्तियों का लगभग एक जैसी स्थिति एवं चुनौतियाँ हैं (Mahabir et al., 2016)।

René Véron & Garry Fehr(2011) ने अपने अध्ययन "**State power and protected areas: Dynamics of forest conservation in Madhya Pradesh, India**" में यह बताया है की सरकारी नीतिया और राज्य नियंत्रण से संरक्षित क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह अध्ययन मध्यप्रदेश के वन संरक्षित क्षेत्रों में किया गया गया है। इस अध्ययन में केस स्टडी के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गयी है व सरकारी नीतियों और उदारीकरण के बाद मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा एवं उपभोक्तावादी परिप्रेक्ष्य और सामान्य जन-जीवन की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया गया है। आजीविका और वन का पृथक्करण होने के बाद विभिन्न नियामको और सरकारी नीतियों व कानूनों का प्रभाव सकारात्मक पड़ा है। आगे भी सरकारी नीतियों नियमों को सख्ती से कार्य करना होगा,

ताकि वन संरक्षित क्षेत्रों में सामाजिक जनजीवन को सुचारू रूप से चल सके, और वहां के निवासियों पर विपरीत असर ना पड़े(Véron & Fehr, 2011)।

शोध समस्या

(Research Problem)

शहरीकरण हेतु वृहद स्तर पर वनोन्मूलन हुआ। जिससे ऑक्सीजन की कमी, मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं गरीबी जैसी बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आई हैं। साथ ही तापमान में वृद्धि, दूषित जल की समस्याएं तथा वर्षा चक्र में असंतुलन उत्पन्न हुआ। जिससे कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसी समस्याओं से समाज घिरा व ग्रसित है। जैव-विविधता, अपशिष्ट प्रबंधन, अपराध, बस्तियों का विस्तार, प्रदूषण आदि अन्य समस्याएं हैं। यद्यपि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980(1988 संशोधन) द्वारा ना केवल वनों की कटाई को रोकने वरन इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने की लगातार प्रयास कर रही है, बावजूद इसके वन संरक्षण के लक्ष्य प्राप्ति में तमाम बाधाएं बनी हुई हैं।

उद्देश्य

(Research objective)

1. शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारणों को ज्ञात करना।
2. शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप समाज पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारण मानवीय स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. शहरीकरण व वनोन्मूलन की कटाई से सम्बंधित सरकारी प्रबंधन, नीतियों तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना

(Research Hypothesis)

1. शहरीकरण व वनोन्मूलन के कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव रहा है।
2. शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के फलस्वरूप समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

3. शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
4. शहरीकरण एवं वनों की कटाई के अंतर्गत सरकारी प्रयासों की उदासीनता प्रतिलक्षित हो रही है।

शोध-प्राविधि एवं डेटा स्रोत

(Research Methodology and Data Sources)

अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है जिससे अध्ययन के सभी पहलुओं के बारे में सही तथ्य व जानकारी प्राप्त हो सके। इस अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में कोविड के नियमों और प्रावधानों के कारण द्वितीयक स्रोतों में किताब, सरकारी दस्तावेजों, समाचार-पत्र, आलेख, पत्रिका तथा इस प्रकार के अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया गया है।

अध्याय 02

(Chapter 02)

सैद्धांतिक ढांचा

(Theoretical framework)

अध्याय 02

(Chapter 02)

सैद्धांतिक ढांचा

(Theoretical framework)

प्रस्तुत अध्ययन का सैद्धांतिक ढांचा विभिन्न समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर तैयार किया गया है। जिनमें प्रमुख परिप्रेक्ष्य प्रकार्यात्मक है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में फर्डिनेंड टोनीज और इमाइल दुर्खीम के सिद्धांतों का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। फर्डिनेंड टोनीज का जेशेलशॉफ्ट और जेमेनशॉफ्ट सिद्धांत और इमाइल दुर्खीम का सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा बर्गेस का कॉन्सेंट्रिक्स ज़ोन थ्योरी (Concentric Zone Theory) का उपयोग किया गया है। इसके अलावा संघर्ष सिद्धांत में मार्क्स और एंजेल्स का मानव प्रकृति संबंध पर विचारों का भी उपयोग किया गया है। यह सभी सिद्धांत इस अध्याय में विस्तार से समझाए गए हैं और

यह भी बताया गया है कि किस तरह से यह सिद्धांत प्रस्तुत अध्ययन में उपयोगी हैं।

समकालीन उपयोगिता को समझते हुए विभिन्न सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को अपनाया है जो प्रगति के साथ-साथ प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रही है इसे समझने हेतु व इसके द्वारा समाज में रहने वाले व्यक्ति समाज से किस रूप में आचरण कर रहे है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में इन महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचे का प्रयोग कर इस अध्ययन को पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह समझना आवश्यक हो जाता है की शहरीकरण किस रूप में समाज के लिए उपर्युक्त है एवं अनुपर्युक्त है अतः कभी-कभी समाज के लिए हानिकारक भी है, सीधे तौर पर प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य यह बताता है की शहर समाज के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। शहरो में रचनात्मकता है, संस्कृति है, जनसँख्या में विविधता है। वही शहरो में अन्य आपराधिक गतिविधियां भी है एवं

अन्य सामान्य समस्याएं भी हैं। इस तरह से शहरीकरण लाभकारी व अच्छा एवं हानिकारक अर्थात् बुरा भी है।

फर्डिनांड टोनीज(Ferdinand Tonnies) ने अपने जेमेनशॉफ्ट (Gemeinschaft) और जेसलशाफ्ट (Gesellschaft) अवधारणा में बताया है कि किस तरह से समाज में बदलाव आए। छोटे, ग्रामीण, पारम्परिक संस्कृतियां बड़े शहरी एवं औद्योगिक सभ्यताओं में बदल गए हैं। टोनीज ने कहा कि जेमेनशॉफ्ट पारम्परिक समाजों की विशेषता है जिनमें समाजों, परिवार रिश्तेदार एवं सामुदायिक संबंधों के मध्य काफी मजबूती दिखाई देती है। यह लोग एक दूसरे की देखभाल एवं तलाश करते हैं, परन्तु जैसे-जैसे समाज का विकास और औद्योगिककरण हुआ और लोगों का शहरों की ओर पलायन हुआ इनके सामान्य सम्बन्ध धीरे-धीरे कमजोर होते गए और मानव समाज अवैक्तिक होता गया। अतः टोनीज ने इस प्रकार के समाज को ही जेशेलशॉफ्ट कहा जिसके वह पूर्णतयः आलोचक रहे। इन्होंने शहरों में घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धों व बंधनों और समुदाय की भावना के प्रति चिंता व्यक्त की और उन्हें इस बात का भय था कि इन समाजों की

गतिशीलता संबधी स्थिति व्यक्ति की सामुदायिक भावना को प्रतिस्थापित कर देती है।

इस प्रकार यदि टोनीज़ की अवधारणा को समझे तो जेमेनशाफ्ट जैसी संस्था समकालीन परिस्थिति में विलुप्त होती दिखाई दे रही है अतः जेसलशाफ्ट को बढ़ावा मिल रहा है जहाँ तार्किकता के आधार पर लोगों के आपसी सम्बन्ध होते हैं एवं प्रगति की ओर उन्मुख होने की राह पर सदैव नए-नए अविष्कार हो रहे हैं। शहरीकरण जैसी प्रक्रिया को दिन-प्रतिदिन प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है जिसकी बढ़ोतरी एवं प्रसार में विभिन्न अन्य प्रक्रिया भी जैसे वनोन्मूलन, औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण आदि भी अपना विशेष योगदान दे रही हैं। यह सभी प्रक्रियाएं शहर में रहने वाले मानव समुदाय अर्थात् जहाँ लक्ष्योन्मुख, जटिल सामाजिक सम्बन्ध एवं प्रतियोगिता का अनुपालन होता है अतः इस तरह से टोनीज़ द्वारा दी गयी जेमेनशाफ्ट एवं जेसलशाफ्ट को इस सन्दर्भ में समझा जा सकता है।

दुर्खीम का एकजुटता का सिद्धांत दुर्खीम ने सामुदायिक भावों एवं सामाजिक संबंधों की अत्यधिक मात्रा में सराहना की है, जिसे उन्होने यांत्रिक एकजुटता और विशेषतः ग्रामीण समाजों की विशेषता कहा है।

इसके साथ उन्होंने यह भी समझाने का प्रयास किया है की जहा यह समाज एकजुटता का प्रतीक है वही इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दिया। शहरी समाजो में भी एकजुटता मौजूद है अतः इन संबंधों को दुर्खीम ने जैविक एकजुटता कहा है, जो श्रम विभाजन की ही देन है। दुर्खीम कहते है की प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य हेतु एक दूसरों निर्भर रहने की आवश्यकता है अतः यह भूमिका व अन्योन्याश्रिता ही एक मानव समाज को दूसरों के साथ जुड़े रखने का कार्य करती है जो छोटे ग्रामीण समाजो में प्रायः पाए जाने वाले समुदायों के अधिकांश भावों एवं बंधनों को एकजुटता में दिखाने का प्रयास करती है।

दुर्खीम की सामाजिक एकजुटता के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक रूप में समझते हुए यह कह सकते हैं कि वर्तमान में शहरीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर दिखाई पड़ता है। शहरीकरण का विस्तार धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर आ चूका है सभी यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें शहरों में स्थान मिल जाये जिससे वह इन स्थानीय सुविधाओं का लाभ ले सकें, परन्तु शहरों के विस्तारीकरण में भूमि की महवपूर्ण भूमिका है जिसे प्राप्त करने हेतु आज जगह-जगह

वनों की कटाई की जा रही व मानव रहने योग्य भूमि को निर्मित किया जा रहा है अतः यह सिद्धांत एकजुटता को दर्शाते हुए समाज की प्रकार्यात्मकता को भी समझने हेतु उपर्युक्त है।

सामाजिक पारिस्थितिकी

सामाजिक पारिस्थितिकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों के यथासंभव महत्वपूर्ण और पूर्ण विश्लेषण करने की आवश्यकता को दर्शाती है। इस तरह सामाजिक पारिस्थितिकी यह समझाती है कि प्रकृति और समाज के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। पहली स्थिति समाज में प्रौद्योगिकी, कार्य, भाषा या विचार के संगठन की तुलना में है। इसलिए विशिष्ट पारिस्थितिक-तंत्र उनके लिए अनुकूलित समाजों के विशिष्ट रूपों का निर्माण करेंगे। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामाजिक पारिस्थितिकी मानव-केंद्रवाद और जैव-केंद्रवाद को अस्वीकार करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सभी प्रकार की केंद्रीयता को अस्वीकार करता है, क्योंकि वह प्रकृति व समाज को एक ही पहलु में रखता है। इसके अलावा यह मानव प्रजातियों की उपलब्धियों को स्वाभाविक रूप से मानव मानती है। संक्षेप में, सामाजिक पारिस्थितिकी यह समझाती है कि जिस तरह से हम प्रकृति

से संबंधित हैं, उसी प्रकार उससे सामाजिक संबंधों के रूपों और प्रकारों को अलग नहीं किया जा सकता है।

सामाजिक पारिस्थितिक आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक संतुलन बनाता है जो अर्थव्यवस्था को हरित करने की प्रक्रिया के माध्यम से स्थिरता के पक्ष में आर्थिक तर्कसंगतता की तलाश करता है। यह एक ऐसा पर्यावरणीय प्रस्ताव जो पश्चिमी समाजों में अधिक से अधिक ताकत हासिल कर रहा है।

मार्क्स और एंगेल्स(Marks and engels)

समाज में मानव-प्रकृति संबंध

समाज-प्रकृति संबंधों के बुनियादी ऐतिहासिक कारकों का प्रकृति के साथ मानव संबंधों पर प्रकाश डाला है। इसके मूल प्रस्तावों के अनुसार, हालांकि कुछ पहलुओं में यह कुछ विरोधाभासों से मुक्त नहीं है। मार्क्स और एंगेल्स ने द्वंदात्मक प्रकृतिवाद की बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति मनुष्य अन्यन्योश्रिता के साथ एक जीवित प्राणी के रूप में है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रकृति निरंतर गति, अंतर्संबंध और परिवर्तन

में है और प्रकृति की विभिन्न इकाइयों की एक अंतहीन श्रृंखला है जो परस्पर रचनात्मक हैं। पारस्परिक रूप से विनाशकारी और पारस्परिक रूप से परिवर्तनकारी और मनुष्य का हिस्सा है। मार्क्स के लिए प्रकृति मनुष्य का "अकार्बनिक शरीर" है, क्योंकि मनुष्य अपने भौतिक अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है।

कॉन्सेंट्रिक्स ज़ोन थ्योरी/रिंग मॉडल(Concentric Zone Model)

कॉन्सेंट्रिक्स ज़ोन थ्योरी (रिंग) मॉडल को बर्गस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, जो शहरी सामाजिक संरचनाओं की व्याख्या करने वाले शुरुआती सैद्धांतिक मॉडल में से एक है। यह 1925 में समाजशास्त्री अर्नेस्ट बर्गस द्वारा बनाया गया था। उन्होंने शहर की संरचना और विकास की व्याख्या करने के लिए संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत की परिकल्पना यह है कि शहर बाहर से संकेंद्रित क्षेत्रों में विकसित होते हैं। दूसरे शब्दों में, मॉडल का सार यह है कि जैसे-जैसे एक शहर बढ़ता है यह अपने केंद्र से अलग-अलग संकेंद्रित वृत्तों या क्षेत्रों में मौलिक रूप से फैलता है।

बर्गस एक वर्णनात्मक ढांचा प्रदान करता है जिसमें मानव पारिस्थितिकी के दोनों पहलू भौतिक भूमि उपयोग पैटर्न और मानवीय संबंध निहित हैं। एक उदाहरण के रूप में शिकागो का उपयोग करते हुए, बर्गस ने देखा कि जैसे-जैसे शहर बाहर की ओर बढ़ते हैं, लोगों और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बीच परस्पर क्रिया भी बाहर की ओर आमूल-चूल विस्तार पैदा करती है और संकेंद्रित क्षेत्रों की एक श्रृंखला बनाती है। संकेंद्रित मॉडल आक्रमण और उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर आधारित है। आक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शहर में प्रवासी के प्राकृतिक 'आक्रामकता' के कारण बाहरी क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्रों के निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। जबकि उत्तराधिकार तब होता है जब कोई क्षेत्र उस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली गतिविधि पर हावी हो जाता है।

सीमित स्थान के लिए शहर में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा है। केवल वे ही सफल हो सकते हैं जो अपने व्यवसाय और घरों के लिए सबसे अच्छा भुगतान करने और वांछनीय स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत शहरवासियों और परिधि के गांवों के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। यह शहर की संरचना के विकास के साथ

सामाजिक समूहों की एकाग्रता और अलगाव की प्रक्रिया का भी वर्णन करता है। इस सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार पांच प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्र हैं।

पारिस्थितिक उत्तराधिकार तब होता है जब लोगों का एक अलग समूह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है और दूसरा समूह पहले समूह को बदलने के लिए पुराने क्षेत्र में चला जाता है। उदाहरण के लिए आवर्तक पैटर्न पारिस्थितिक उत्तराधिकार में उपनगरों में जाने वाले मध्यम वर्ग के सदस्य शामिल हैं, मजदूर वर्ग और गरीब प्रवासी ग्रामीण इलाकों से या अन्य कारणों से आंतरिक शहर में जा रहे हैं। शहर के विकास में होने वाली इन प्रक्रियाओं की अवधारणा पर सबसे अच्छा बर्गेंस ने शहर की सीमा के बाहर पांचवें यात्री क्षेत्र के साथ 4 मुख्य क्षेत्रों के संदर्भ में शहर का वर्णन करता है (Verma Manish K., 2017)।

ये इस प्रकार हैं:

1) केंद्रीय व्यापार जिला (Central business district)


शहर का सबसे भीतरी रिंग ज़ोन या केंद्र एक वाणिज्यिक केंद्र है जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) भी कहा जाता है। यह क्षेत्र वाणिज्यिक,

सामाजिक और नागरिक सुविधाओं की उच्च तीव्रता की विशेषता है। यह शहर का दिल है जिसमें डिपार्टमेंट स्टोर, कार्यालय भवन, दुकानें, बैंक, क्लब, होटल, थिएटर और कई अन्य नागरिक भवन शामिल हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों और स्थान का केंद्र होने के कारण यह सभी दिशाओं से सुलभ है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए, यह उच्चतम तीव्रता वाले भूमि उपयोग और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र है। भूमि उपयोग की उच्च तीव्रता आगे भूमि और लगान के उच्च मूल्य को इंगित करती है। नतीजतन इस क्षेत्र में आवासीय आबादी बहुत कम है। लोग हमेशा शहर के केंद्र से दूर सस्ते, विशाल और प्रदूषण मुक्त आवास की तलाश में रहते हैं। (Reiffenstein, 2017)

2) संक्रमण का क्षेत्र (Zone of transition)

इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हल्के उद्योग और मलिन बस्तियां हैं, जिन्हें कई अमेरिकी शहरों में देखा जा सकता है। यह क्षेत्र कई पहली पीढ़ी के अप्रवासियों का घर था। इसमें कम आय वाले घर, पिछड़े पड़ोस, एक कमरे के घर और बेघर पुरुष हैं। यह अपराध, जुआ, यौन बुराई और अन्य सामाजिक विचलन का प्रजनन स्थल है। शारीरिक गिरावट और सामाजिक अव्यवस्था के कारण गरीब आवास, गरीबी, किशोर

अपराध, पारिवारिक विघटन, शारीरिक और मानसिक बीमारियों का केंद्रीकरण होता है। बर्गेंस ने शिकागो शहर का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि दूसरा संकेंद्रित क्षेत्र प्रकृति में क्षणभंगुर है, जिसमें भीड़भाड़ और अतिक्रमण के कारण आवासीय गिरावट का क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र सीबीडी क्षेत्र को घेरता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है जैसे कि हल्के औद्योगिक उत्पादन और व्यापार आदि के विस्तार के लिए।



3) निम्न श्रमिक वर्ग निवास(Lower working class residence)

मूल रूप से यह नियोजित आवासीय क्षेत्र है जो आर्थिक गतिविधि के स्थानों के करीब है जो अक्सर स्थानांतरित हो जाते हैं और बाहरी रिंगों में चले जाते हैं। संक्रमण क्षेत्र के करीब होने के कारण यह जीवन की गुणवत्ता के मामले में उस क्षेत्र से प्रभावित होता है। यह औद्योगिक प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव और मलिन बस्तियों के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। मजदूर वर्ग के आवासों पर मध्यम या उच्च वर्ग के आवासों का कब्जा है।

4) मध्यम वर्ग निवास(Middle class residence)

इन्हें वर्ग चरित्र और संगत सुविधाओं के संदर्भ में अलग-अलग रिंगों में विभाजित किया जा सकता है। यह नागरिक समाज की सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक आवासीय क्षेत्र है। जो लोग इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, वे एकल परिवार के घरों या अपार्टमेंट में मूल निवासी अमेरिकी हैं। प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में घर विशाल हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन की अन्य सभी आवश्यकताएं यहां पाई जाती हैं। उचित परिवहन, संचार और पार्किंग सुविधाएं इस आवासीय क्षेत्र की एक अतिरिक्त विशेषता है। इस संकेंद्रित क्षेत्र की उपरोक्त विशेषताएं स्पष्ट रूप से एक विशेष वर्ग चरित्र को दर्शाती हैं।

5) कम्प्यूटर जोन(comuter zone)

यह उच्च श्रेणी के निवास के क्षेत्र से परे सबसे बाहरी संकेंद्रित क्षेत्र में स्थित है। यह छोटे शहरों, कस्बों और बस्तियों को घेरने का एक घेरा है, जो एक साथ मिलकर कम्प्यूटर जोन का निर्माण करते हैं। इन क्षेत्रों के लोग रोज़गार और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सीबीडी या वाणिज्यिक केंद्र की ओर दैनिक आधार पर आवागमन करते हैं लेकिन अपने छोटे शहरों, कस्बों और बस्तियों में रहते हैं। कम्प्यूटर जोन कम घनत्व की विशेषता है। यह अपेक्षाकृत अलग-थलग है और उपनगरों और उपग्रह शहरों में स्थित है। बाद में बर्गस लिखते हैं कि शिकागो के बाहरी संकेंद्रित क्षेत्र में कस्बों या शहरों का कोई चक्र नहीं था, लेकिन सीबीडी से निकलने वाले रेलमार्गों के साथ एक पहिया की प्रवक्ता की तरह निपटान का एक पैटर्न मौजूद था।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण- प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि समाज की सभी ईकाइयां एक-दूसरे को अर्थात सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। कोई भी सामाजिक संरचना व्यक्तिगत क्रियाओं पर निर्भर होती है अतः शहरी संरचना में परिवर्तन मनुष्य द्वारा किये गए कार्यों द्वारा उन्मुख होती हैं जैसे- समुदाय, संस्था, परिवार

आदि यह सभी सामाजिक ईकाइयां सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं जैसे मानव द्वारा क्रिन्यान्वित शहरीकरण एवं वनोन्मूलन की प्रक्रिया समाज में मनुष्य एवं पर्यावरण की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्डिनेंड टोनीस महत्वपूर्ण दो अवधारणा में जेसलशाफ्ट और जेमेंशाफ्ट को समाज में इस तरह समझ सकते हैं कि प्राचीन सामाजिक स्थितियों ने किस प्रकार नवीन रूप धारण किया है। शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण मनुष्य अपने पारिवारिक सम्बन्ध, गांव छोड़ कर जाने हेतु विवश हो जाता है जिसके कारण इनमें शहरों में आकर बसने के कारण इनमें पारिवारिक मोह की कमी आ जाती है। दुर्खीम के सामाजिक एकता का सिद्धांत में यांत्रिक एवं सावयव समाज दिखता है जिसमें शहरीकरण एवं औद्योगिक प्रक्रिया ने यांत्रिक समाज की धारणा को तोड़ते हुए सावयव समाज का रूप लिया है, जहाँ अपने विकास हेतु मानव प्राथमिक संबंधों पर आर्धारित न होकर द्वितीयक संबंधों को अपनाया रहा है। अर्नेस्ट बर्गस ने अपने सिद्धांत कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो पूर्णतः शहरी भूमि उपयोग (Urban Land Use) पर आर्धारित है। इन्होंने एक शहर की संरचना कैसी होती है एवं वह अपना विकास क्षेत्र कैसे

बढाती है, इसे समझाने का प्रयास किया है। भूमि उपयोग एवं मानव सम्बन्ध प्रभावित हो रहे हैं अतः जैसे-जैसे शहरीकरण या भूमि का विस्तारीकरण होता है, वैसे ही मानव की अंतःक्रिया भी सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक संस्थाएं बढती व परिवर्तित होती जा रही हैं।

अध्याय 03

(Chapter 03)

शहरीकरण व वनोन्मूलन के प्रभाव

(Impact Of urbanisation and deforestation)

अध्याय 03

शहरीकरण व वनोन्मूलन के कारण

शहरी विकास दो तरह से वनों की कटाई को बढ़ावा देता है। सबसे पहले शहर में रहने वाले ग्रामीण प्रवासी शहर-आधारित जीवन शैली अपनाते हैं एवं वे अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उनकी आय में वृद्धि होती है और उनका आहार पशु उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बड़े हिस्से में स्थानांतरित हो जाता है। बदले में, स्थानीय स्तर पर या ऐसे उत्पादों या उनके इनपुट का निर्यात करने वाले अन्य देशों में पशुओं के चरने और चारे के लिए भूमि निकासी को बढ़ावा देता है। बढ़ती और शहरीकरण करने वाली वैश्विक आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 6.7-12.1 मिलियन एकड़ कृषि भूमि की आवश्यकता हो सकती है।

शहरी विकास को वनों की कटाई से जोड़ने वाला एक दूसरा और संभावित रूप से कम कारक यह है कि शहर अक्सर कृषि भूमि और वनों सहित प्राकृतिक आवास के क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। दुनिया

भर के शहरों में हर हफ्ते 1.4 मिलियन नए निवासियों की वृद्धि हो रही है। शहरी भूमि क्षेत्र का विस्तार शहरी आबादी की तुलना में औसतन दोगुना तेजी से हो रहा है। शहरी क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का 2000 और 2030 के बीच 740,000 वर्ग मील से अधिक विस्तार करने का अनुमान है।

शहरी विस्तार के प्रभाव सिद्धांत रूप में कॉम्पैक्ट विकास और उच्च घनत्व पर जोर देने के लिए शहरी रूप को आकार देने के सिद्ध तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके कम किया जा सकता है। हालांकि, खपत को कम करना अधिक जटिल है।

लोग हजारों वर्षों से वनों की कटाई कर रहे हैं जो मुख्य रूप से फसलों या पशुओं के लिए भूमि साफ करने के लिए हैं जो वन बड़े पैमाने पर विकासशील देशों तक ही सीमित हैं, वे केवल स्थानीय या राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं। वनों की कटाई के प्रत्यक्ष कारण कृषि विस्तार, लकड़ी निष्कर्षण (उदाहरण के लिए, घरेलू ईंधन या लकड़ी का कोयला के लिए लकड़ी की कटाई), और सड़क निर्माण और शहरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार है। वनों की कटाई का शायद ही कोई एक सीधा कारण हो। अधिकतर वनों की कटाई

का कारण बनने के लिए शहरीकरण की प्रक्रिया क्रमिक रूप से काम करती हैं।

भारत में वनोन्मूलन और वन आवरण

विगत कुछ वर्षों में वन आवरण में वृद्धि देखी गयी है। वर्ष 2017 में 1% जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है जो 2015 में वन आच्छादन की स्थिति की तुलना में वन की रक्षा के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की ओर एक सकारात्मक संकेत है (चित्र 2)। वन आवरण में यह सकारात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं के लिए जिम्मेदार है जिसमें वनीकरण गतिविधियाँ, वृक्षारोपण क्षेत्रों और पारंपरिक वन क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा उपायों के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी, जंगल के बाहर पेड़ों का विस्तार आदि शामिल हैं। साथ ही, इस वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में, देश ने सबसे बड़े वार्षिक वन क्षेत्र लाभ की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष 10 देशों में 8 वां स्थान प्राप्त किया है। यद्यपि भारत में कुल वनावरण में वृद्धि हुई है, फिर भी देश के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन आवरण में कमी आयी है (चित्र 3)। इस कमी के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में स्थानांतरित खेती, घूर्णी कटाई, अन्य जैविक दबाव, विकास गतिविधियों के लिए वन

भूमि का मोड़ आदि हैं। अतीत में विभिन्न वन आवरण वर्गों में एक संक्रमण भी हुआ है। भारत के विभिन्न वन आवरण वर्गों से संबंधित वन आवरण (%) की वर्तमान स्थिति को चित्र 4 में दिखाया गया है। यह पाया गया है कि मध्यम घने जंगल में कमी आई है और खुले वन में वृद्धि हुई है जो वन आवरण के क्षरण को दर्शाती है। कुछ हद तक वन आवरण वर्गों के भीतर परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में कमी आती है, जिससे वन क्षरण होता है। इन गतिविधियों के नियंत्रण और नियमित जांच से वन संरक्षण हेतु प्रयासों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने और अंततः पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और प्रमुख कार्बन सिंक को बनाए रखने के लिए वन संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है।




Fig 1




Fig 2




Fig-3

शहरीकरण व वनोन्मूलन के कारण

वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण फसल भूमि और चारागाह में रूपांतरण है। ज्यादातर निर्वाह के लिए फसल उगाना या दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुधन बढ़ाना है। कृषि भूमि में परिवर्तन आमतौर पर कई प्रत्यक्ष कारकों के परिणामस्वरूप होता है। उदाहरण के लिए देश भूमि परिवहन में सुधार के लिए दूर-दराज के इलाकों में सड़कों का निर्माण करते हैं। सड़क विकास ही सीमित मात्रा

में वनों की कटाई का कारण बनता है। लेकिन सड़कें दुर्गम और अक्सर लावारिस भूमि के लिए प्रवेश प्रदान करती हैं। जब लकड़हारे किसी क्षेत्र की मूल्यवान लकड़ी काट लेते हैं, तो वे आगे बढ़ते हैं। सड़कें और लॉग किए गए क्षेत्र बसने वालों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। किसान जो खेत, फसल भूमि या मवेशी चरागाह के लिए शेष जंगल को काटते और जलाते हैं व सड़क निर्माण के साथ शुरू हुई वनों की कटाई श्रृंखला को पूरा करते हैं। अन्य मामलों में जंगल जो लॉगिंग से खराब हो गए हैं, वे आग से ग्रस्त हो जाते हैं और अंततः आस-पास के खेतों या चरागाहों से बार-बार होने वाली आकस्मिक आग से वनों की कटाई हो जाती है।




Fig 4

हालांकि गरीबी को अक्सर वनों की कटाई के अंतर्निहित कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। गरीबी लोगों को वन सीमाओं की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करती है, जहां वे निर्वाह के लिए वनों को काटने और जलाने में संलग्न होते हैं। लेकिन शायद ही कभी एक कारक अकेले वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हो ।




Fig 5

सुनीता कालरा (2017) ने अपने अध्ययन "A Study of Deforestation In India" में वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारको को बताया है।

1. चराई
2. स्थानांतरण की खेती
3. ईंधन की लकड़ी
4. जंगली आग

5. इमारती लकड़ी
6. औद्योगीकरण
7. जंगल का अतिक्रमण
8. वन रोग
9. भूस्खलन
10. खड्ड (ravine) का निर्माण
11. जनसँख्या में वृद्धि

सड़क और रेलवे विस्तार परियोजनाओं जैसे आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की नीतियों के कारण भी वनों की कटाई हुई है। कृषि सब्सिडी और टैक्स ब्रेक के साथ-साथ लकड़ी की रियायतों ने भी वन समाशोधन को प्रोत्साहित किया है। वैश्विक आर्थिक कारक जैसे देश का विदेशी ऋण, वर्षावन लकड़ी और लुगदी लकड़ी के लिए वैश्विक बाजारों का विस्तार या भूमि, श्रम और ईंधन की कम घरेलू लागत अधिक टिकाऊ भूमि उपयोग पर वनों की कटाई को प्रोत्साहित कर सकती है।

शहरीकरण के प्रभाव

एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 1992 और 2015 के बीच दुनिया ने शहरीकरण के कारण 35 मिलियन हेक्टेयर (Mha) जंगल खो दिया है। मौजूदा कृषि भूमि के लिए नई फसल भूमि, दिन पर दिन बढ़ते शहरों द्वारा कम हो रही है। कृषि का विस्तार आमतौर पर वन हानि के मुख्य कारक के रूप में देखा जाता है। वनाच्छादित क्षेत्रों में कृषि विस्तार को प्रोत्साहित करके शहरीकरण से वनों का अप्रत्यक्ष नुकसान हो सकता है।




Fig 6

2008 में पांच प्रमुख राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में शहरीकरण की उच्चतम दर और शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या थी (fig 6)। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे भारत की पहले से ही चरमराती शहरी बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा, जो वर्तमान में भारी बैकलॉग और जनसंख्या वृद्धि के कारण पीड़ित हैं।

चूंकि शहरी विस्तार अक्सर क्रॉपलैंड क्षेत्रों में होता है और क्रॉपलैंड के विस्तार के कारण अक्सर प्राकृतिक क्षेत्र का रूपांतरण होता है। क्रॉपलैंड विस्थापन शहरी विस्तार को प्राकृतिक क्षेत्र के नुकसान से संबंधित कर सकता है। तत्कालीन कृषि भूमि में शहरी विस्तार के कारण वनों की कृषि के लिए कटाई शहरीकरण द्वारा अधिग्रहित मूल क्षेत्र से बड़ा है।

शहरी क्षेत्र आमतौर पर अत्यधिक उत्पादक फसल वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जबकि नई फसल भूमि मुख्य रूप से वन और अन्य प्राकृतिक क्षेत्र की कीमत पर आती है। इसके कारण नई कृषि भूमि जो कि वनों

को काटकर बनाई गई थी वह शहरीकरण के कारण खोए क्षेत्र की तुलना में 139 प्रतिशत अधिक थी। .

इन कृषि क्षेत्रों का उपयोग 'अनाज फसलों' जैसे गेहूं, मक्का और चावल को उगाने के लिए किया जाता था, लेकिन ऐसी फसलें भी होती हैं जो अक्सर उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से जुड़ी होती हैं जैसे कि तेल, पाम और सोयाबीन।

इस प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए अध्ययन से पता चलता है कि उपजाऊ फसल भूमि को परिवर्तित करने के बजाय, शहरी विकास को कम उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

निष्कर्ष-शहरीकरण व वनोन्मूलन के कई कारण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें आकस्मिक आग से वनों की कटाई हो रही है। शहर में आकर अपना जीवन-बसर करने हेतु मनुष्य को जीवन-निर्वाह के साधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें वनों का सहारा लेना पड़ता है। अतः गरीबी के कारण भी वनों को काटा और जलाया जा रहा है। नगरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारणों में स्थान्तरित खेती, ईंधन की

लकड़ी, जंगली आग, इमरती लकड़ियां, औद्योगिकीकरण, भूस्खलन,
जनसंख्या में वृद्धि आदि प्रमुख कारण हैं।

अध्याय 04

(Chapter 04)

शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का समाज पर प्रभाव

**(Impact of Urbanisation and deforestation on
society)**

अध्याय 04

शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का समाज पर प्रभाव

शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का क्रमिक बदलाव है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण स्थानों के बजाय शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का बढ़ता अनुपात है। शहरीकरण व वनोन्मूलन के सामाजिक प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

मलिन बस्तियां और संबंधित समस्याएं:-


आवास सुविधाओं की तीव्र कमी भारतीय शहरों की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, चाहे वह महानगर हो या छोटा शहर। इसका कारण यह है कि तेजी से शहरीकरण प्रक्रिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवास सुविधा की उपलब्धता और विकास का तेजी से विस्तार नहीं हुआ है। आवास सुविधाओं की भारी कमी गरीबों को मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर करती है। लगभग सभी भारतीय शहरों में मलिन बस्तियों का विकास हुआ है। मलिन बस्तियों

को कलकत्ता में बस्ती, दिल्ली में झुग्गी, मुंबई में चॉल और चेन्नई में चेरी के नाम से पुकारा जाता है। स्लम एरिया (सुधार और निकासी) अधिनियम 1954 के तहत भारत सरकार द्वारा मलिन बस्तियों या बस्तियों को मुख्य रूप से एक आवासीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां जीर्ण-शीर्ण, भीड़भाड़, दोषपूर्ण व्यवस्था और वेंटिलेशन की कमी, प्रकाश या स्वच्छता सुविधाओं के कारण आवास या इन कारकों का कोई भी संयोजन सुरक्षित, स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए हानिकारक है। ऐसा अनुमान है कि कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 40 प्रतिशत लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। इन मलिन बस्तियों की स्थिति बेहद गंदी है और उन्होंने तीन से चार झोंपड़ियों के बीच एक उथला गड्ढा खोदकर और सामने टाट "पर्दा" लटकाकर बनाए गए दुर्बल शौचालय हैं। बच्चे निश्चित रूप से झोपड़ियों के आसपास कहीं भी शौच करने के आदी हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में कई सेसपूल और पोखर हैं। ये एक राज्य के गंदे पूल के बीच में हमेशा के लिए खोदे जाते हैं। लोग हैंडपंप के नीचे अपने कपड़े और बर्तन धोते हैं। इससे रक्त पेचिश, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया और नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसी बीमारियां होती हैं, जो उन्हें साल भर अपना

शिकार बनाती हैं। फूला हुआ पेट या अकाल कंकाल वाले बच्चे पोलियो और सामान्य दृष्टि से पीड़ित होते हैं (Jaysawal & Saha, 2014)।

शहरीकरण का परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव

शहरीकरण ने पारिवारिक संरचना को प्रभावित किया है। परिवार के भीतर और पारस्परिक संबंधों के साथ-साथ परिवार के कार्यों को भी प्रभावित किया है। शहरी संयुक्त परिवार धीरे-धीरे एकल परिवारों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। परिवारों के आकार सिकुड़ रहे हैं और रिश्तेदारी के रिश्ते दो या तीन पीढ़ियों तक ही सीमित हो रहे हैं। पारिवारिक ढांचे में बदलाव के बावजूद व्यक्तिवाद की भावना नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा पति के प्रभुत्व वाले परिवार को समानतावादी परिवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जहां पत्नी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा दिया जाता है। माता-पिता अब बच्चों पर अपना अधिकार नहीं थोपते हैं और बच्चे अब अपने माता-पिता की आज्ञाओं का आँख बंद करके पालन नहीं करते हैं। संयुक्त परिवारों में भी सबसे बड़ा पुरुष बच्चों के साथ परामर्श करता है और यह परामर्श औपचारिक नहीं होता है।



(Source: Author)

शहरीकरण और जाति

शहरीकरण और शिक्षा के विकास के साथ जाति की पहचान और जाति का गौरव कम हो गया है। शहरी लोगों के नेटवर्क में सभी जातियों के लोग शामिल हैं। इसके बजाय जाति संबंधों की तुलना में वर्ग संबंध अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी समय कुछ जाति समूहों के शिक्षित सदस्य शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रकार के दबाव समूह बनाने के लिए एक साथ आते हैं। हालाँकि ऐसे दबाव समूह गाँवों में जाति संरचनाओं के बजाय एक सामाजिक संगठन की तरह काम करते हैं व ऐसे समूह कई उपजातियां भी एक साथ लाते हैं। शहरी क्षेत्रों में जाति के मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। सहभोज, वैवाहिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। अधिक से अधिक लोग अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं। जजमानी व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और अंतर्जातीय और अंतरवर्गीय संबंध बदल रहे हैं।

शहरीकरण और महिलाओं की स्थिति

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छी है और वे तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षित और उदार हैं। वे न केवल अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से अवगत हैं बल्कि उन अधिकारों का प्रयोग करने में भी सक्षम हैं। शहरों में लड़कियों की शादी की औसत उम्र ज्यादा होती है। शहरी व्यवस्था में व्यक्तियों के कार्य पैटर्न में परिवर्तन देखा गया है। श्रम बाजार में भागीदारी दर विवाहित महिलाओं के बीच बढ़ी है और वे अब 'गृहिणी' नहीं हैं। हालांकि, शहरी महिलाओं को अभी भी श्रम बाजार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनके पास सीमित व्यवसाय हैं। अभी भी भारत के शहरों में महिला श्रम बल की भागीदारी दर कम है। शहरी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ अजीबो-गरीब समस्याओं में शामिल हैं- अविवाहित रहने में कठिनाई, पतियों आदि के करियर को अधीनस्थ करने की अपेक्षा की जाती है। तलाक और पुनर्विवाह की उच्च आवृत्ति। अधिक महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं व महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर हैं और स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा रखती हैं। संक्षेप में कहे तो ग्रामीण महिलाएं पुरुषों पर

निर्भर हैं वहीं शहरी महिलाएं स्वतंत्र हैं और अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेती हैं।

शहरीकरण और ग्रामीण जीवन

शहरी विकास ने ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को प्रेरित किया है। ज्यादातर लोग रोजगार और व्यापार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। ग्रामीण आवास और शहरी रोजगार के परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी सीमांत क्षेत्रों में एक नए प्रकार की जीवन शैली का जन्म हुआ है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक प्रतिमानों के संशोधनों के साथ-साथ जीवन के एक नए तरीके में समायोजन हुआ है। ग्रामीण लोग शहरी जीवन से प्रभावित होते हैं और जाति, पंथ आदि पर अनुचित जोर नहीं देते हैं। इस प्रकार गांव के लोगों में अधिक से अधिक उदार दृष्टिकोण देखा जाता है।

परिवर्तन और नवाचार के एक एजेंट के रूप में शहरीकरण

शहर नए विचारों, संचार और नवाचार के केंद्र हैं। यह निरंतर शहरी-ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से तत्काल भीतरी इलाकों के साथ-साथ पूरे देश में फैलता है। एशिया में शहरों को "परिवर्तन का केंद्र" कहा गया

है। यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से कम समय के लिए घर लौटने वाले प्रवासियों और ग्रामीण गांवों में जागरूकता फैलाने व शहरी क्षेत्रों में पहले से देखे गए कुछ नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण है। यह बेहतर स्वास्थ्य और आवास, दृष्टिकोण, आकांक्षाओं, व्यवहार और व्यक्तिगत संबंधों के सकारात्मक परिवर्तन में भी मदद करता है। इन सभी प्रसारणों और नवाचारों में योगदान करने के लिए बहुत कुछ है। पहला, शहरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और दूसरा, ग्रामीण परिवर्तन और विकास में शहरी केंद्रों की उत्प्रेरक भूमिका को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सतत शहरी-ग्रामीण संपर्क एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। संचार तंत्र के विस्तार में शहरीकरण की भूमिका प्रमुख शहरों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन और संचार के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ना है। हवाई मार्ग, सड़क और रेल नेटवर्क, टेलीफोन और ई-मेल नेटवर्क मुख्य परिवहन और संचार तंत्र हैं जिन्होंने दुनिया भर में समय और दूरी की अवधारणाओं में क्रांति ला दी है। बेहतर सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने में मदद करती हैं एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा और

संचार को बढ़ाती हैं और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के स्रोत के रूप में शहर

शहरों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का स्रोत माना जाता है जो शहरों के साथ-साथ पूरे राष्ट्र राज्य के आधुनिकीकरण और विकास के लिए नवाचार पैदा करता है। शहर "विकास के इंजन" हैं, जिन्होंने मानव संसाधन, अकुशल श्रम और कच्चे माल को आकर्षित किया है जो अंततः औद्योगीकरण, व्यावसायीकरण और विकास के सभी प्रकार के वांछनीय तत्वों की ओर जाता है।

निष्कर्ष-शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का समाज से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यदि हमारा पर्यावरण किसी भी रूप से प्रभावित होता है, तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव समाज में रहने वाले जीवों एवं मनुष्यों पर भी पड़ रहा है, जो पृथ्वी के साथ समाज की प्रगति के लिए बाधक है। शहरीकरण व वनोन्मूलन के फलस्वरूप समाज कई दिशा में परिवर्तित व प्रभावित हो रहा है जैसे-मलिन बस्तियों का विस्तार, पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन, जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन, शहरीकरण द्वारा महिलाओं

की स्थिति में बदलाव, वनोन्मूलन एवं शहरीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण-जीवन व परिवेश में बदलाव, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तार आदि समाज पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव हैं।

अध्याय 05

(Chapter 05)

**शहरीकरण व वनोन्मूलन का मानवीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर
प्रभाव**

**(Impact of urbanisation and deforestation on
human health and environment)**

अध्याय 05

शहरीकरण व वनोन्मूलन का मानवीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव

शहरीकरण और मानव स्वास्थ्य

शहरों के कुछ नकारात्मक परिणाम हैं इनमें से एक मानव स्वास्थ्य के मुद्दों के वर्ग का उदय है जिसे 'शहरी बीमारियों' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो शहरी बस्तियों के वातावरण और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। शहर बड़ी मानव आबादी, बड़े भौगोलिक आकार, उच्च मानव और निर्मित घनत्व, और आर्थिक गतिविधियों की एक चौंकाने वाली विविधता को जन्म देते हैं। बदले में ये परिवहन, वायु और ध्वनि प्रदूषण, समय प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के तनाव और ऐसी अन्य शहरी समस्याओं के मुद्दों को जन्म देते हैं जो शहरी स्थान के लिए हानिकारक हैं। दुर्भाग्य से वे शहरवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं और अस्वास्थ्यता के मुद्दों को जन्म देते हैं जो एक सुनियोजित रणनीति की मांग करते हैं।

स्वास्थ्य के मुद्दों को मोटे तौर पर ऐसे विभाजित किया जा सकता है बीमारियाँ जो मुख्य रूप से झुग्गी-झोपड़ियों और शहरी गरीबों से संबंधित हैं, जो उन लोगों के वर्ग को पीड़ित करती हैं जिनके पास गतिहीन नौकरी और काम के विषम घंटे हैं और बीमारियाँ जो सामाजिक-आर्थिक सम्पन्नता से परे हैं जो सभी शहरवासियों को पीड़ित करती हैं।

शहरी गरीबों का अधिकांश भाग जिन आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं, वे मलिन बस्तियां हैं। चूंकि वे बड़े पैमाने पर अनियोजित हैं इसलिए वे मलिन बस्तियों में रहने लगते हैं एवं वह सुरक्षित पर्यावरण से वंचित रह जाते हैं। जैसे-जैसे शहरों का आकार बढ़ रहा है इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये उच्च मानव घनत्व वाले क्षेत्र जहाँ इनकी पीने योग्य पानी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच है। नतीजतन कई बार इनके स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में खराब होते हैं। उच्च मानव घनत्व और वेंटिलेशन की कमी उन्हें तपेदिक जैसे संचारी रोगों से ग्रस्त कर देती है। यह एक ऐसी बीमारी थी जिससे व्यापक रूप से निपटने के लिए सरकारी कार्यक्रम चलाये गये थे, लेकिन यह चिंताजनक बीमारी बल के साथ झुग्गी-झोपड़ियों में फिर से

प्रकट हो गयी है। डेंगू जैसे जलजनित और वेक्टर जनित रोग असुरक्षित जल भंडारण और खराब अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हैं, जो विशेष रूप से शहरी गरीब बस्तियों में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वे घर के अंदर वायु प्रदूषण और असुरक्षित पेयजल व स्वच्छता से होने वाली अतिसार संबंधी बीमारियां जो होने वाली तीव्र श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए भी अतिसंवेदनशील होते हैं।

मध्यम वर्ग में उनकी वर्तमान जीवन शैली में गतिहीन व्यवसाय के साथ तेज-तर्रार जीवन शामिल है। कई नौकरियों में विषम घंटों के काम की आवश्यकता होती है जिससे तनावपूर्ण वातावरण और अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतों को बढ़ावा मिलता है। भारतीय शहरों में सामान्य तौर पर दुनिया भर के अन्य शहरों की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर में अधिक लोग रहते हैं, जिसके कारण मनोरंजन और व्यायाम के लिए सार्वजनिक खुले स्थानों का प्रावधान नहीं है। समग्र रूप से ये कारक उन्हें मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की ओर अग्रसर करते हैं। काम का तनाव, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और प्रदूषित भोजन के सेवन से भी कई तरह के कैंसर होते हैं। कैंसर की विभिन्न किस्में विशेष रूप से, भारत पर अपनी

पकड़ मजबूत करती दिख रही हैं और हर साल कैंसर के लगभग दस लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। चिंताजनक बात तो यह है कि भविष्य में 2025 तक यह स्थिति बढ़ जाएगी।

शहरीकरण सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के पैटर्न में भी गहरा बदलाव लाता है। एकल परिवारों का उदय विशेष रूप से शहरी लोगों को मनोवैज्ञानिक आघात और मानसिक विकारों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इनमें मनोभ्रंश, अवसाद, मादक द्रव्यों के सेवन, शराब और पारिवारिक विघटन शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक द मेंटल हेल्थ कॉन्टेक्ट ने बताया है कि मानसिक विकार बीमारी के वैश्विक बोझ का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा हैं। 2020 तक ये विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा बीमारी के कारण नष्ट हो गया था। मानसिक विकारों की घटना युवा वयस्कों में सबसे अधिक है, जो जनसंख्या की सबसे अधिक उत्पादक आयु है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। उपजाऊ परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दशकों में भारतीय शहरों में इस वैश्विक

स्वास्थ्य की चुनौती और भी अधिक बढ़ने की आशंका की जा सकती है (jha, 2022)।

भारत में डेंगू और चिकनगुनिया का तेजी से प्रसार हुआ है। दोनों एडीज मच्छर द्वारा प्रेषित होते हैं, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। हाल के अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत में इन दोनों बीमारियों का प्रसार सबसे अधिक है। सालाना लगभग 33 मिलियन स्पष्ट मामले और डेंगू के 100 मिलियन स्पर्शोन्मुख मामले होते हैं। उदाहरण के लिए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 40 प्रतिशत आबादी अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार डेंगू वायरस से संक्रमित हुई है। चूंकि शहर के सभी हिस्से अब हाइपर-कनेक्टेड हैं। डेंगू जैसी उभरती हुई बीमारियां विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित दोनों को प्रभावित करती हैं। चिकनगुनिया के मामले बहुत कम हैं 2016 में चिकनगुनिया के 64,057 मामले सामने आए, जो 2015 में 27,553 था।

वनोन्मूलन और मानव स्वास्थ्य

वन "कार्बन सिंक" के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाव करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं व वातावरण से अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैस को हटाते हैं और इसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। "ग्रीनहाउस प्रभाव" तब होता है जब वातावरण में बहुत अधिक ग्रीनहाउस गैसों रहती हैं, जो सूर्य से गर्मी को पकड़ती हैं और वैश्विक वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती हैं। वैज्ञानिक अधिकांश मानव-चालित जलवायु परिवर्तन का श्रेय ग्रीनहाउस प्रभाव को देते हैं। जब मनुष्य जंगलों को काटते हैं, तो औद्योगिक कृषि से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वातावरण में बना रहता है, जो जलवायु संकट में योगदान देता है।

मनुष्य कारखानों के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन हम स्वस्थ सांस लेने वाली हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि वनों की कटाई और कारखानों के लिए कच्चे मॉल की खेती बेरोकटोक जारी है, जिससे हमारा ग्रह और हमारी प्रजातियाँ आपदा की ओर बढ़ रही हैं।

जब मनुष्य अपने वन आवासों को नष्ट कर देते हैं, तो जानवर और कीड़े जंगलों के आसपास के आबादी वाले गांवों में शरण लेते हैं। मानव क्षेत्र में जानवरों के प्रवास से मनुष्यों और वन्य-जीवों के बीच एक अभूतपूर्व संपर्क होता है जो न केवल अप्राकृतिक बल्कि खतरनाक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर मनुष्यों में रोगजनकों को फैला सकते हैं। ये रोगजनक जूनोटिक रोगों के रूप में जानी जाने वाली बीमारियों का कारण बनते हैं। "जूनोटिक डिजीज: डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन"), जिसे हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2021 की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि, जूनोटिक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए हमें अपनी कृषि पद्धतियों को बदलना चाहिए और अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए।

अफसोस की बात है कि वनों की कटाई का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में जूनोटिक रोग पहले से ही अधिक प्रचलित हैं। मच्छर इंसानों में मलेरिया फैलाते हैं और जैव विविधता कम होने पर मच्छरों की आबादी बढ़ती है। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि "वनों की कटाई मलेरिया के प्रसार में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है जो यह सुझाव देते हैं

कि कुछ मामलों में वन-संरक्षण मलेरिया-रोधी उपायों के एक पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है।"

इंडोनेशियाई गांवों में 2019 के एक केस स्टडी ने मलेरिया और वनों की कटाई के बीच संबंध को और मजबूत किया शोधकर्ताओं ने पाया कि वन आवरण में 1% की कमी से मलेरिया की घटनाओं में 10% की वृद्धि हुई।

मलेरिया एकमात्र जूनोटिक रोग नहीं है जो वनों की कटाई से उत्पन्न होता है। एक संभावित कारण के रूप में "संक्रमित जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच अधिक लगातार संपर्क" का हवाला देते हुए 2017 के एक अध्ययन ने मध्य और पश्चिम अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को जंगलों के हालिया नुकसान से जोड़ा।




Fig 01

मलेरिया के लिए चित्र १ में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्रसार दिखाता है, लेकिन भीतरी शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निम्न आर्थिक श्रेणियों में यह अधिक व्यापक है। शहरी उत्तर प्रदेश (जहां मध्यम आर्थिक वर्ग) को छोड़कर अधिकांश मामलों में यह सच है (Gupta & Mondal, 2015)।

पेरी शहरी क्षेत्र में बदलते भूमि उपयोग पैटर्न ने पहले से ही वन आवरण, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि को प्रभावित किया है। बदले में वन आवरण, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि फसल में परिवर्तन फ्रिज ज़ोन के निवासियों के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इन

पहलुओं में परिवर्तन ने प्राकृतिक पर्यावरण, वायु गुणवत्ता, पानी और मिट्टी को प्रभावित किया, जो आसपास के निवासियों के लिए स्वास्थ्य, आजीविका और खाद्य सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकता है (Verma, 2017)।

निष्कर्ष- शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जा रहा है जिन्हे शहरी बिमारियों द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है। परिवहन प्रदूषण, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, समय प्रबंधन में कमी, स्वच्छता की कमी, पीने योग्य पानी की कमी आदि। अधिकतर यह देखा जा सकता है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में मानव स्वास्थ्य अधिक प्रभावित हो रहा है। शहरों की विस्तारीकरण के लिए वनोन्मूलन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप समकालीन समाज में रहने योग्य, मनोरंजन हेतु एवं व्यायाम आदि के लिए सार्वजनिक खुले स्थानों व मैदानों की कमी हो रही है। अतः यह सभी कारण प्रमुख है एक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए और इस पर विभिन्न प्रयासों द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्याय 06

(Chapter 06)

**शहरीकरण एवं वनोन्मूलन से सम्बंधित नीतियों व प्रबंधन का
प्रभाव**

**(Impact of government policies and management
on Urbanisation and deforestation)**

अध्याय 06

शहरीकरण एवं वनोन्मूलन से सम्बंधित नीतियों व प्रबंधन का प्रभाव

शहरीकरण एवं वनोन्मूलन ने सामाजिक-आर्थिक विकास में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही रूपों में अपनी भूमिका निभाई है बावजूद, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में कई परिवर्तन आये हैं। तर्कसंगत शहरी विकास नीति की कमी के कारण शहरी और ग्रामीण शहरी स्तर पर आय और सुविधाओं में अंतर देखा जा रहा है। इस तरह की नीति में स्थानीय निकायों को मजबूत करने, शहरी नियोजन, शहरी प्रबंधन और शासन में सुधार, गरीबी को कम करने, पर्यावरण की रक्षा, स्वस्थ और किफायती आवास को बढ़ावा देने के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के समग्र उद्देश्य के साथ लागत प्रभावी और कुशल बुनियादी ढांचे और सेवा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शहरी निवासियों पर किसी भी शहरीकरण नीति का दोहरा प्रभाव होता है, पहला यह शहर के आंतरिक भागों में देखा जा

रहा है और दूसरा यह आसपास के सीमांत क्षेत्र में परिलक्षित हो रहा है। तदनुसार किसी भी शहरी विकास नीति के दो घटक होने चाहिए पहला शहरीकरण नीति और दूसरा ऐसी शहरी नीति जो भारत की शहरी विकास नीति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शहरी-ग्रामीण द्विभाजन की जगह एक शहरी-ग्रामीण-सातत्य का विकास करना और न्यूनतम स्तर को बनाए रखना है। शहरी क्षेत्रों के भीतर बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं का वर्ग, जाति और लोगों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना शहरीकरण नीति- छोटे, मध्यम और मध्यवर्ती शहरों में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर अधिक जोर देती है, जिससे ये ग्रामीण इलाकों में विकास केंद्रों की स्थिति प्राप्त कर सकें और ग्रामीण पलायन को रोक सकें।

ऐसी किसी भी नीति के बारे में बात करते समय सबसे पहले हमें शहरी स्थानों की भूमिका के संबंध में एक नीति बनाने की आवश्यकता होती है चाहे उसका आकार और कार्य कुछ भी हो। इस तरह के मुद्दों में शहर के आकार और अंतर नीतियों, ग्रामीण शहरी प्रवास नीति और ग्रामीण शहरी सीमा नीतियों के तीन प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाता है और दूसरा हमें इस संबंध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने

की आवश्यकता है जिसमे शहरी नीति के रूप में माने जाने वाले शहरों की आंतरिक समस्याओं के लिए व इसमें अनियमित शहरी भूमि उपयोग, गरीबी और मलिन बस्तियों, परिवहन, शहरी शासन, आवास, आवास और पर्यावरण शामिल हैं।

निम्न सरकारी योजनाएं एवं कानून-

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन आर यू एम) 2005-जे एन एन यू आर एम 3 दिसंबर 2005 को शुरू की गयी थी और 2014 में बंद कर दिया गया था। यह योजना अब अटल अमृत मिशन द्वारा बदल दी गयी है।

भारत के शहर और कस्बे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था का गठन करते हैं। वे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50% से अधिक का योगदान करते हैं और आर्थिक विकास के केंद्र में हैं। इन शहरों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और विकास के सच्चे इंजन बनने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान दिया जाए व इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण आवश्यक है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनआरयूएम) 2005 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सात वर्षों में 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ एक शहर आधुनिकीकरण योजना थी। इसमें दो घटक शामिल हैं अर्थात शहरी गरीबों (बीएसयूपी) और एक एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान है। इस योजना को शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, बेहतर नागरिक सुविधाओं का निर्माण करने, बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ शहरी गरीबों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए किफायती घर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब तक की प्रगति लगभग 65 योजना के तहत मिशन शहरों की पहचान की गई। जेएनएनआरयूएम के उप-मिशन व्यापक एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए थे। चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए योजना की मिशन अवधि मार्च 2015 तक बढ़ा दी गई थी। जेएनएनआरयूएम को इसी तरह की एक और शहर-आधुनिकीकरण योजना अमृत से बदल दिया गया है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य

- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित करना, किफायती मूल्य पर कार्यकाल की सुरक्षा, बेहतर आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार करना ।
- जहाँ तक संभव हो शहरी गरीबों के व्यवसाय के स्थान के निकट आवास उपलब्ध कराना ।
- दक्षता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्ति निर्माण और परिसंपत्ति प्रबंधन के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करना ।
- शहरी गरीबों के लिए सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देते हुए नागरिक सुविधाओं के वितरण और उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाना ।
- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना ।

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT

MISSION)

अमृत के तहत पांच सौ शहरों का चयन किया गया है। अमृत द्वारा चुने गए शहरों की श्रेणी नीचे दी गई है-

- 2011 की जनगणना के अनुसार अधिसूचित नगर पालिकाओं वाले एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर और कस्बे, जिनमें छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) शामिल हैं।
- सभी राजधानी शहर/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शहर जो उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।
- हृदय योजना के तहत एम ओ एच यूए द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे।
- 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाली मुख्य नदियों के तने पर तेरह शहर और कस्बे।
- पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों के दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।

मिशन निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा-

- जलापूर्ति

- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन
- बाढ़ को कम करने के लिए तूफानी जल निकासी
- पैदल यात्री, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थान
- विशेष रूप से बच्चों के लिए हरित स्थानों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों के सुविधा मूल्य में वृद्धि करना।

मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल पर मिशन की निगरानी की जाएगी। परियोजनाओं की जियो टैगिंग की जाएगी। इसे पेपरलेस मिशन बनाने का प्रयास किया जाएगा। शहर जल संतुलन योजना के माध्यम से अपने जल स्रोतों, खपत, भविष्य की आवश्यकता और पानी के नुकसान का आकलन करेंगे। इसके आधार पर शहर की जल कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य जल कार्य योजना के रूप में सारांशित किया जाएगा और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और यूएलबी द्वारा साझा किया जाएगा। राज्यों को राज्य जल कार्य

योजना के अनुसार राज्य को आवंटन के आधार पर तीन चरणों में केंद्रीय निधि जारी की जाएगी।

अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) 2015 में लॉन्च किया गया था, अमृत योजना का फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर था जिसका नागरिकों को बेहतर सेवाओं के प्रावधान से सीधा संबंध है। स्वच्छ भारत मिशन से निकटता से जुड़ी इस योजना में चयनित 500 भारतीय शहरों में जल आपूर्ति सुविधाओं, सीवरेज नेटवर्क, तूफानी जल निकासी, शहरी परिवहन और खुले और हरे भरे स्थानों का प्रावधान शामिल है। योजना के तहत आवंटित बजट 2016-2021 की अवधि के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये थे। अब तक की प्रगति 20 शहरों और कस्बों में परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

अन्य शहरी विकास योजनाएं-

छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना

(Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns(UIDSSMT))

5 मार्च 2012 को शुरू की गई छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना (UIDSSMT) मिशन बाद में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संक्रमण चरण के रूप में इस योजना को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जून 2015 में योजना को अमृत में मिला दिया गया था (Verma, 2017)।

मिशन अवधि के मुख्य चरण के दौरान 801 परियोजनाएं और संक्रमण चरण 235 परियोजनाओं को कुल 1036 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और रुपये का ए सी ए। 801 परियोजनाओं के लिए 10041.36 करोड़ और रु. 3692.45 करोड़ 235 परियोजनाओं के लिए जारी किया गया था। अमृत निधि से 31 चल रही यू आई डी एस एस एम टी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और रुपये का ए सी ए 437.52 करोड़ 2017-18 में जारी किया गया था। 1036 परियोजनाओं के लिए 14,171.33 करोड़ रुपये की कुल संचयी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी की गई। कुल 466 परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूरा किया गया है जिसमें 297 जल आपूर्ति, 18

सीवरेज, 33 तूफानी जल निकासी, 18 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 7 शहरी नवीनीकरण, 8 जल निकाय का संरक्षण, 83 सड़कें और 1 प्रत्येक पार्किंग और मिट्टी के कटाव की रोकथाम शामिल हैं।

योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे:

- कस्बों और शहरों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार
- राज्य और यूएलबी स्तर पर शहरी क्षेत्र में सुधार
- ढांचागत विकास में सार्वजनिक-निजी-साझेदारी बढ़ाना
- कस्बों / शहरों के नियोजित एकीकृत विकास को बढ़ावा देना

स्मार्ट सिटी मिशन (SMART CITY MISSION)

25 जून 2015 को शुरू किया गया जो स्मार्ट सिटीज मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना है। भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य भारत-भर के शहरों के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में नियोजित शहरीकरण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत में 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है। इसमें बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आईटी पहुंच, डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, सतत विकास,

सुरक्षा और सुरक्षा के प्रावधान के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वैश्विक शहर भारत के मिशन को बहुमूल्य समर्थन दे रहे हैं, जो अधिक रोजगार और आय में वृद्धि करके शहरी केंद्रों के आर्थिक विकास पर भी जोर देता है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (शहरी)

प्रधान मंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (शहरी) या सभी के लिए आवास योजना 25 जून 2015 को शहरी गरीबों के लिए मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) शामिल हैं, निम्न आय वर्ग (एल आई जी) और मध्यम आय समूह (एम आई जी)। दो घटकों- पीएमएवाई (शहरी) और पीएमएवाई (ग्रामीण) के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित मिशन में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एस बी एम - यू)- स्वच्छ भारत मिशन

- शहरी (एसबीएम- यू) 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2018-19 के लिए 41,765 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के उद्देश्य से सरकार का राष्ट्रव्यापी प्रमुख कार्यक्रम है। यह एक व्यापक स्वच्छता योजना है जिसका उद्देश्य 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त बनाना, नगरपालिका ठोस कचरे के 100 प्रतिशत संग्रह और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को डिजाइन, निष्पादन और संचालन के लिए तैयार करना है। सिस्टम एस बी एम के लिए कुल अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रुपये है, जिसमें से 14,787 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा है। अब तक की प्रगति 31 मार्च 2018 तक 52 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 3.2 लाख सार्वजनिक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार अपने निर्धारित समय से एक साल पहले 72 लाख शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करेगी।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एन यू एस पी)- राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 में तैयार की गई थी, जिसमें शहरी गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए स्वच्छ और सस्ती स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ प्रभावी शहर स्वच्छता योजनाओं के साथ चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की दृष्टि रखी गई थी।

विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) यह योजना 21 जनवरी 2015 को विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई थी। यह विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के साथ-साथ मूल विरासत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और विरासत संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे के पुनरोद्धार से संबंधित है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन यू एल एम)- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमएचयूपीए) द्वारा 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई, यह योजना शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और कमजोरियों को कम करने के लिए एक आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जो उन्हें लाभकारी स्वयं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर जिससे उनकी आजीविका में

वृद्धि हो। यह शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं को भी संबोधित करता है। इसे 790 शहरों में लागू किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति में शहरी नियोजन स्तर पर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में शहरी परिवहन को शामिल करना शामिल है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों की शुरूआत, प्रदूषण के स्तर में कमी और सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित साधनों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय वन नीति-

- **राष्ट्रीय वन नीति 1952** का उद्देश्य कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा पहाड़ी में और 25% मैदानी इलाकों में वन कवर के तहत लाना है। इसने नदी/नहर के किनारे, सड़कों, रेलवे, कृषि योग्य अपशिष्ट और निम्नीकृत भूमि पर वृक्ष भूमि के विस्तार का सुझाव दिया।

- **1988** में एक नई वन-नीति अपनाई गई जिसका मुख्य जोर वनों के संरक्षण, पुनर्जनन और विकास पर था।

सामाजिक वानिकी-

- सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। यह तब था जब भारत ने अप्रयुक्त और परती भूमि पर ईंधन की लकड़ी, चारा, लकड़ी और घास के वृक्षारोपण द्वारा पारंपरिक जंगलों से दबाव कम करने के उद्देश्य से एक सामाजिक वानिकी परियोजना शुरू की थी।
- सामाजिक वानिकी का क्या अर्थ है- सामाजिक वानिकी से तात्पर्य किसी समाज के लोगों द्वारा लगाए गए वनों (पेड़ों) से है। इसे 'लोगों के लिए, लोगों द्वारा' के रूप में परिभाषित किया गया है।

हालाँकि सामाजिक वानिकी में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है लेकिन इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक हैं-

1. कृषि वानिकी- किसानों को अपने खेतों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

2. विस्तार वानिकी- विशेष रूप से सड़कों, नहरों, रेलवे और अन्य सार्वजनिक भूमि के किनारे समुदाय की जरूरतों के लिए वन विभागों द्वारा लगाए गए वुडलॉट्स।
3. सामुदायिक वानिकी- समुदाय द्वारा स्वयं सामुदायिक भूमि पर लगाए गए पेड़, उनके द्वारा समान रूप से साझा किए जाने के लिए।
4. वनों की कटाई या अवक्रमित वन क्षेत्रों का पुनर्वास ।

हालाँकि सामाजिक वानिकी परियोजनाएँ विफल रहीं क्योंकि इनमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया जो मुख्य रूप से लाभार्थी थीं।

बाजारोन्मुखी पेड़ लगाए गए। इस प्रकार समुदायों और किसानों ने इस बुनियादी जरूरत पैदा करने की कवायद के बजाय नकदी पैदा करने के रूप में देखा। लकड़ी ग्रामीण लोगों की ईंधन और चारे की जरूरतों के बजाय शहरी और औद्योगिक उपयोग के लिए समाप्त हो गई। कृषि-वानिकी ने भूमि रोजगार को कम किया जबकि अनुपस्थित जमींदारीवाद में वृद्धि हुई।

वनों के उपयोग, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध और वन भूमि पर अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए विधायिकाओं द्वारा कई कानून पारित किए गए हैं-

- आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 पारित किया गया था।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ने केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और प्रदूषण को रोकने के लिए शक्तियां दीं।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के उनके द्वारा बसे हुए वन क्षेत्रों पर अधिकारों को मान्यता देता है और उसी के अनुसार एक रूपरेखा प्रदान करता है।

इसके अलावा वनों की कटाई और गिरावट प्लस (आरईडीडी +) के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिशा-निर्देश निर्धारित करने में मदद करते हैं।

वर्तमान में दो प्रमुख वनरोपण योजनाएं हैं-

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम- एनएपी (वनीकरण और पर्यावरण की बहाली के उद्देश्य से अपमानित वनों और आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है)

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (देश की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ देश के वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से)

ग्रीन इंडिया मिशन (जी आई एम) फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)। जीआईएम कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को अपनाने के लिए कृषि भूमि पर वानिकी का समर्थन करने के लिए जीआईएम के तहत एक घटक है। [नोट: आम तौर पर एक "मिशन मोड" परियोजना का तात्पर्य एक ऐसी परियोजना से है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन समय सीमा और मील के पत्थर, साथ ही साथ मापने योग्य परिणाम और सेवा स्तर हों।]

अन्य सरकारी पहल-

- **राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन**-जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया, मिशन का लक्ष्य 100,000 कि. मी. राजमार्गों के साथ एक हरी छतरी प्रदान करना और 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। मिशन के तहत सरकार ने किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग अनुबंध की कुल परियोजना लागत का 1% वृक्षारोपण के लिए ग्रीन फंड में अलग रखना अनिवार्य कर दिया है।
- **नगर वन-उद्यान योजना**- जलवायु स्मार्ट हरित शहरों के लिए एक कार्यक्रम। यह हाल ही में पांच साल की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए शुरू की गई एक पायलट योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में नगर निगम या नगर पालिकाओं वाले शहरों में 200 नगर वन (नगर वन) विकसित करना है। नगर वन-उद्यान एक शहर के आसपास का एक वन क्षेत्र है जो शहरवासियों के लिए सुलभ है और मनोरंजन, संरक्षण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए एक स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रबंधित है।

- **स्कूल नर्सरी योजना-** यह छात्रों को प्रकृति के करीब लाने का प्रयास करता है और उनमें पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्कालिक भावना पैदा करता है। इस योजना के तहत छात्र जीव-विज्ञान कक्षाओं के लिए अपने व्यावहारिक अभ्यास के हिस्से के रूप में या अपनी पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में स्कूल नर्सरी में बीज बोएंगे और पौधे उगाएंगे साथ ही छात्र अपने स्कूल और मोहल्ले में पेड़ों की गणना भी करेंगे।

समुदायों की भूमिका- समुदायों ने भारत में वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए

- **चिपको आंदोलन-** 1970 के दशक में शुरू हुआ चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पेड़ों और जंगलों को नष्ट होने से बचाना था। चिपको पल का नाम 'आलिंगन' शब्द से उत्पन्न हुआ क्योंकि ग्रामीण पेड़ों को गले लगाते थे और उन्हें काटने से लकड़ी काटने वालों से बचाते थे। हिमालय में श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन ने न केवल कई क्षेत्रों में वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध

किया, बल्कि यह भी दिखाया कि स्वदेशी प्रजातियों के साथ सामुदायिक वनीकरण अत्यधिक सफल हो सकता है।

- **अपिको आंदोलन-** चिपको आंदोलन की तर्ज पर पांडुरंग हेगड़े ने 1983 में कर्नाटक में अपिको आंदोलन शुरू किया (अपीको, एक पेड़ को गले लगाकर उसके प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए)। इसका उद्देश्य वनरोपण के साथ-साथ विकास, संरक्षण और वनों का सर्वोत्तम तरीके से उचित उपयोग करना था।
- **साइलेंट वैली मूवमेंट- साइलेंट वैली** केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक क्षेत्र है। यह भारत में कुंवारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतिम इलाकों में से एक है और जैव-विविधता में बहुत समृद्ध है। 1973 में यहां स्थापित होने वाली जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। इस दबाव में, सरकार को 1985 में इसे राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा।
- **संयुक्त वन प्रबंधन-** यह कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को प्रबंधन और अवक्रमित वनों की बहाली में शामिल करने के

लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कार्यक्रम 1988 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में है जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था। जेएफएम स्थानीय (गांव) संस्थानों के गठन पर निर्भर करता है जो वन विभाग द्वारा प्रबंधित ज्यादातर वन भूमि पर संरक्षण गतिविधियों का संचालन करते हैं। बदले में, इन समुदायों के सदस्य गैर-लकड़ी वनों के उत्पादन और सफल संरक्षण द्वारा काटी गई लकड़ी में हिस्सेदारी जैसे मध्यस्थ लाभों के हकदार हैं।

- कुछ समाज एक विशेष वृक्ष का सम्मान करते हैं जिसे उन्होंने अनादि काल से संरक्षित किया है। जैसे छोटानागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल महुआ और कदंब के पेड़ों की पूजा करते हैं और उड़ीसा और बिहार की नलियां शादियों के दौरान इमली और कई पेड़ों की पूजा करती हैं।

निष्कर्ष-शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का वर्तमान में इतना अधिक प्रचार-प्रसार हो रहा है जिसकी अंधता व विकास से समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामो पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं व नीतियों को लागू किया है, बावजूद इसके अभी-भी पेड़ों

की कटाई व शहरी-विस्तार हो रहा है। सरकार फिर भी कई अन्य प्रयासों में जुटी हुई है, जिससे मानव-चेतना का उदय हो सके एवं समाज को सुरक्षित जीवन प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा ऐसी प्रभावी कानूनों को बनाने व उनके क्रियान्वयन की जरूरत है जिससे वनों की कटाई से असंतुलन को रोका जा सके तथा इसके साथ ही जन जागरूकता का स्तर भी इतना हो कि वृक्ष लगाने को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले इससे मानव के स्वास्थ्य स्थिति व वातावरण को सुगम सहायता प्राप्त होगी ।

अध्याय 07

(Chapter 07)

निष्कर्ष एवं सुझाव

(Conclusion and suggestion)

निष्कर्ष-समाजशास्त्र का उद्भव ही औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति से हुआ है, जो एक संरचनात्मक रूप से समाज में अमूल-चूल परिवर्तन का आधार रहा है। औद्योगिकीकरण ने समाज के सामाजिक-संरचना को उलट-पलट कर रख दिया है जिसका प्रतिबिम्ब इमाइल दुर्खीम की पुस्तक श्रम-विभाजन में हम देख सकते हैं जिसमें दुर्खीम ने श्रम-विभाजन को दो भागों में बाटा है, यांत्रिक व सावयव समाज। सावयव समाज(Organic Society) एक औद्योगिक समाज है, जिसके परिणामस्वरूप नगर अस्तित्व में आये।

भारत में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण का अस्तित्व अंग्रेजों के आने के बाद आरंभ हुआ, जो कि शोषण पर आधारित था। अंग्रेजों के जाने के पश्चात् प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 में बनायी गयी जिसका केंद्र-

बिंदु औद्योगिक विकास था, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करके बड़े-बड़े उद्योग, कल-कारखाने, बिल्डिंगे आदि स्थापित किये गए। वनों की कटाई से दो तरह के नुकसान हुए पहला, वहां के स्थानीय लोगों को प्रभावित किया जिनमें जनजाति, महिलाएं तथा कमजोर तबकों के अधिकांश लोग प्रभावित हुए।

दूसरा, नगरीकरण के पश्चात् गांव के बेरोज़गार लोगों को शहरों ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें पुश एवं पुल्ल कारकों ने इन्हें प्रभावित किया। जिसे समाजशास्त्र में ली का प्रवासन सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है।

लोग मुख्य शहर के खर्चीले जीवन-यापन को जीने में असक्षम है, परिणामस्वरूप यह शहर के (पेरी-फेरी) परिधि में निवास करने हेतु बाध्य हो गए। इसके साथ ही मलिन-बस्तियां अस्तित्व में आयीं एवं इन मलिन बस्तियों के आने के कारण अपराध, छिना-झपटी, बीमारियां आदि व्याधिकीय (Pathology) उत्पन्न हुई, जिसे हम दुर्खीम के शब्दों में व्याधिकीय-प्रकार्य कह सकते हैं।

समकालीन समाज में लोग/सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, कल-कारखाने व सड़कों आदि का निर्माण बड़े पैमानों पर हो रहा है, जिसके कारण वर्षा का जल धरती अवशोषित नहीं कर पा रही है अतः जल-स्तर का संकट विकराल रूप में शहरों उभर कर सामने आ रहा है, परिणामस्वरूप स्थानीय पारिस्थिकीय प्रभावित हो रहा है। शहरीकरण एवं वनोन्मूलन द्वारा पर्यावरण अधिक मात्रा में प्रभावित हो रहा है, जिससे पृथ्वी की भौगोलिक-स्थिति, जैव-विविधता, नदियां, झील एवं स्थानीय पेड़-पौधों को नुकसान हो रही है। बहुतायत नगरीकरण होने के कारण शहरों में जल-प्रदुषण, ध्वनि-प्रदुषण, वायु-प्रदुषण, घनी आबादी आदि की समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं जिसका नुकसान अधिकतर कमज़ोर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आदि शामिल हैं। अतः जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वन वह स्रोत है जो पृथ्वी की जलवायु को संतुलित तरीके से बनाये रखने में मदद करता है। वनों की कटाई हमारी पृथ्वी

में असंतुलित जलवायु व्यवहार का कारण बनेगी जिसमें मुख्य रूप शहरीकरण एवं वनोन्मूलन का योगदान है।

जाँच-परिणाम-इस अध्ययन के प्रथम उद्देश्य शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारणों पर प्रकाश डालता है। अध्ययन का विश्लेषण के बाद यह पाया गया है कि प्रथम परिकल्पना शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारणों के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव रहा है। अतः यह परिकल्पना सत्य है।

जाँच-परिणाम-शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के सन्दर्भ में समाज पर प्रभाव का अध्ययन इस शोध का द्वितीय उद्देश्य है। अध्ययन का पूर्ण विश्लेषण करने उपरान्त द्वितीय परिकल्पना जो यह बताती है कि शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पद रहा है। अतः यह परिकल्पना सत्य साबित हुई।

जाँच-परिणाम-इस अध्ययन के तृतीय उद्देश्य का अनुसार शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के कारण मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त साहित्य एवं शोध-सामग्री का विश्लेषण करने के पश्चात तृतीय परिकल्पना जो यह बताती है की

शहरीकरण एवं वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप मानवीय स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अतः यह परिकल्पना भी सत्य साबित हुई।

जाँच-परिणाम-अध्ययन के चतुर्थ उद्देश्य शहरीकरण एवं वनोन्मूलन की कटाई से सम्बंधित सरकारी नीतियां, प्रबंधन तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। प्राप्त आंकड़ों एवं स्रोतों का विस्तृत अध्ययन के बाद यह पाया गया है कि चतुर्थ परिकल्पना शहरीकरण एवं वनोन्मूलन की कटाई के अंतर्गत सरकारी प्रयासों की उदासीनता प्रतिलक्षित हो रही है। अतः यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई।

सुझाव- शहरीकरण एवं वनोन्मूलन बहुत समय से चली आ रही सामाजिक प्रक्रिया है। समकालीन समाज में शहरीकरण एवं वनोन्मूलन द्वारा कई समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिसका समाधान निकलना अति-आवश्यक है। जब शहरीकरण की प्रक्रिया चलती है, तब उससे वनोन्मूलन की स्थिति भी मुख्य रूप से प्रभावित होती है। अतः इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए मनुष्य एवं सरकार को विभिन्न प्रयास करने की आवश्यकता है जैसे-

शहरों में मलिन-बस्तियों में रह रहे लोगों को मूल-भूत सुविधाएँ प्रदान की जाएं, जैसे-साफ़-सुथरा पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क व उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल व शैक्षिक संस्थान बनाये जाएं।

शहरों में प्रदुषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा सख्त कानून व योजनाएं बनार्यीं जाएं।

कटे हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए।

शहर में रह रहे विभिन्न आर्थिक वर्ग (निम्न, मध्यम एवं उच्च) के लोगों को सुगम जीवन प्राप्त हो सके इसके लिए योजनाओं के ज़रिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति सही हो सके।

योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाये।

वनोन्मूलन, शहरीकरण का एक मुख्य कारण है। जो विस्थापन के जरिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, अतः वनोन्मूलन और विकास में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। विकास, विस्थापन व पर्यावरण के मध्य संतुलन होना अति-आवश्यक है। समाज में समानता

के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है जिससे गरीब लोगों को अनावश्यक विस्थापन का सामना न करना पड़े। चूँकि विकास एक सुगम जीवन व सुविधाभोगी मार्ग प्रशस्त करता है, किन्तु इन विकासीय प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण एवं मानवीय समस्याएं बढ़ रही है जिसे रोकने का प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

भू-जल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) को प्रयोग में लाना चाहिए, जो एक जल-वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमे वर्षा के जल को सतह से गहराई में लाया जाता है।

सतत विकास (Sustainable Development) की प्रक्रिया को पर्यावरण की दृष्टि से शामिल किया जाना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को भविष्य में विकल्पों से समझौता न करना पड़े और साथ ही सुरक्षित लचीले व टिकाऊ शहर का निर्माण, साफ़ पानी एवं स्वच्छता और पर्यावरण को मजबूत बनाने का कार्य किया जा सकता है।

इस प्रकार हम शहरीकरण एवं वनोन्मूलन की प्रक्रिया को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण के परिदृश्य के अनुरूप क्रियान्वित कर सकते हैं। क्योंकि इसका प्रभाव पर्यावरण एवं मानव पर पड़ता है जिसके लिए

सरकार द्वारा कई कार्य किये गए हैं जैसे यूनिटेड नेशन द्वारा सतत विकास के छह गोल्स को भी पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों से जोड़ा गया है। अतः इस प्रक्रिया में मानवीय गतिविधियों को भाग लेने की आवश्यकता है जिससे इस समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सके।

सन्दर्भ- सूची (References)

- Alam, M. J. B., Alam, M. J. B., Rahman, M. H., Khan, S. K., & Munna, G. M. (2006). Unplanned urbanization: Assessment through calculation of environmental degradation index. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 3(2), 119–130.
<https://doi.org/10.1007/BF03325915>
- Bologna, M., & Aquino, G. (2020). Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis. *Scientific Reports*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-63657-6>
- Busch, J., & Ferretti-Gallon, K. (2014). Stopping Deforestation: What Works and What Doesn't. *Center for Global Development*, 14(CGD Climate and Forest Paper Series), 7.
- Capps, K. A., Bentsen, C. N., & Ramírez, A. (2016). Poverty,

urbanization, and environmental degradation: Urban streams in the developing world. *Freshwater Science*, 35(1), 429–435. <https://doi.org/10.1086/684945>

Carr, D. (2009). Population and deforestation: Why rural migration matters. *Progress in Human Geography*, 33(3), 355–378. <https://doi.org/10.1177/0309132508096031>

Connolly, C., Keil, R., & Ali, S. H. (2021). Extended urbanisation and the spatialities of infectious disease: Demographic change, infrastructure and governance. *Urban Studies*, 58(2), 245–263. <https://doi.org/10.1177/0042098020910873>

Eloy, L., & Lasmar, C. (2012). Urbanisation and transformation of indigenous resource management: The case of upper rio negro (Brazil). *International Journal of Sustainable Society*, 4(4), 372–388. <https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2012.049407>

Government of India. (2022). *India State of Forest Report 2021 (ISFR) (Ministry. 2021.*

- Gupta, I., & Mondal, S. (2015). Urban health in India: Who is responsible? *International Journal of Health Planning and Management*, *30*(3), 192–203.
<https://doi.org/10.1002/hpm.2236>
- Hoffmann, E. M., Jose, M., Nölke, N., & Möckel, T. (2017). Construction and use of a simple index of urbanisation in the rural-urban interface of Bangalore, India. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(11). <https://doi.org/10.3390/su9112146>
- Imam, A. U. K., & Banerjee, U. K. (2016). Urbanisation and greening of Indian cities: Problems, practices, and policies. *Ambio*, *45*(4), 442–457. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0763-4>
- Jaysawal, N., & Saha, S. (2014). Urbanization in India: An Impact Assessment. *International Journal of Applied Sociology*, *4*(2), 60–65. <https://doi.org/10.5923/j.ijas.20140402.04>
- K, E.-M. (1998). Social Determinants of Deforestation in

Developing Countries : A Cross-National Study Author (s):

Karen Ehrhardt-Martinez Published by : Oxford University

Press Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3005539>

Social Determinants of Deforestation in De. *Social Forces*,
77(2), 567–586.

Kalra, S. (2017). A Study of Deforestation In India. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 3(8), 1333–1335.

Kundu, A. (2011). *Trends and processes of urbanisation in India Human Settlements Group, IIED Population and Development Branch, UNFPA Urbanization and Emerging Population Issues 6* (Issue September).

Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P. (2016). The study of slums as social and physical constructs: Challenges and emerging research opportunities. *Regional Studies, Regional Science*, 3(1), 399–419.

<https://doi.org/10.1080/21681376.2016.1229130>

Meghwal, bhajan lal. (2019). *51 相控地震多属性预测技术在南堡*

凹陷碳酸盐岩储层的应用.Pdf. rastriya jal vigyan sansthan

rurki.

Nations, U. (2021). The Global Forest Goals Report 2021. In *The*

Global Forest Goals Report 2021.

<https://doi.org/10.18356/9789214030515>

Ogunbameru, O. A. (2005). Human-Environment Interactions:

The Sociological Perspectives. *Journal of Social Sciences*,

10(2), 99–104.

<https://doi.org/10.1080/09718923.2005.11892464>

Ormsby, A. A., & Ismail, S. A. (2015). Cultural and ecological

insights into sacred groves: Managing timber resources for

improved grove conservation. *Forests Trees and Livelihoods*,

24(4), 244–258.

<https://doi.org/10.1080/14728028.2015.1059294>

Rai, N. D., & Uhl, C. F. (2020). *Forest Product Use , Conservation and Livelihoods : The Case of Uppage Fruit Harvest in the Western Ghats , India* Author (s): Nitin D . Rai and Christopher F . Uhl Source : *Conservation & Society* , Vol . 2 , No . 2 , SPECIAL ISSUE : NON-TIMBER FOREST PR. 2(2), 289–313.

Reiffenstein, T. (2017). Concentric Zone Theory. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, 1–2.
<https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0440>

Rudel, T. K. (2013). The national determinants of deforestation in sub-Saharan Africa. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 368(1625).
<https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0405>

Shukla, D. ratnesh. (2018). dkuiqj egkuxj dh efyu cfLr;ksa esa thou dk lkekftd vkfFkZd v/;;u. *International Journal of Advanced Research In Multidisciplinary Sciences (IJARMS)*,

7(1), 1–15.

Véron, R., & Fehr, G. (2011). State power and protected areas: Dynamics and contradictions of forest conservation in Madhya Pradesh, India. *Political Geography*, 30(5), 282–293.
<https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.05.004>

Britanica. (2022, march 15).
<https://www.britannica.com/science/deforestation>.
Retrieved from Britanica.com :
<https://www.britannica.com/science/deforestation>

britanica. (2022, march 15).
<https://www.britannica.com/topic/urbanization>. Retrieved from britanica.com:
<https://www.britannica.com/topic/urbanization>

jha, R. (2022, april 18). *orfonline.org*. Retrieved from .orfonline:
<https://www.orfonline.org/expert-speak/impact-urbanisation-health-67644/>

Verma, Manish K. (2017). *Peri- Urban Enoirment*. Lucknosw: Winshield Press.

Verma, Manish. K. (2017). *Peri- Urban Envoironment*. Lucknow, Uttar Pradesh , India: Winshield Press.